

**THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1967 (to Amend article 368, as introduced in Lok Sabha).**

**SHRI BANKA BEHARY DAS** (Orissa): Madam, I beg to move:

"That this House concurs in the recommendation . . ."

**SHRI LOKANATH MISRA** (Orissa): On a point of order.

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** But there is no business before the House.

**SHRI LOKANATH MISRA:** No, no, Madam Deputy Chairman, you have already asked him to move the motion. Once you have asked him to move the motion . . .

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** The motion is not moved.

**SHRI LOKANATH MISRA:** All right.

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** Let the House be first seized of the motion.

**SHRI BANKA BEHARY DAS:** Madam, I beg to move:

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill further to amend the Constitution of India (Amendment of Article 368) and resolves that the following members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee.

1. Shri Chitta Basu
2. Shri M. V. Bhadram
3. Shri M. P. Bhargava
4. Shri K. Chandrasekharan
5. Shri A. P. Chatterjee
6. Shri Jairamdas Daulatram
7. Shri Kota Punnaiah
8. Shri Ram Niwas Mirdha
9. Shri G. H. Valimohmed Momin

10. Shri G. R. Patil
11. Shri J. Sivashanmugam Pillai
12. Shrimati Yashoda Reddy
13. Shri Jogendra Singh
14. Shri Triloki Singh
15. Shri Rajendra Pratap Sinha"

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** Mr. Das, do you want to say anything on this?

**SHRI BANKA BEHARY DAS:** Yes, Madam . . .

**SHRI LOKANATH MISRA:** I would like this motion not to be considered by the House. That is why I rise on a point of order.

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** I think it is a continuous process that he moves the motion and speaks on it . . .

**SHRI G. MURAHARI** (Uttar Pradesh): We object to his moving the motion.

**SHRI LOKANATH MISRA:** My point of order is that it relates to . . .

**SHRI BHUPESH GUPTA** (West-Bengal): On a point of order. He cannot oppose moving. He can oppose the introduction . . .

**SHRI LOKANATH MISRA:** Madam, I am on a point of order.

**SHRI BHUPESH GUPTA:** I am also on a point of order . . . (interruption.)

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** Mr. Gupta, please sit down.

**SHRI LOKANATH MISRA:** He cannot raise a point of order on my point of order. Madam, in India the Constitution is sovereign. In the U.K. and in many other countries, it is the Parliament that is sovereign, because there is no written Constitution in those countries. We have a written Constitution and in the name of the Constitution, we take our solemn oath before we get into the

[Shri Lokanath Misra.]

Parliament. So the sovereignty in India lies not in Parliament but in the Constitution.

AN HON. MEMBER: It can never be changed?

SHRI LOKANATH MISRA: I am coming to that. There are certain articles in the Constitution which can definitely be changed. But there are certain others which can never be changed. I was saying, Madam, that in Hitler's Germany and in Mussolini's Italy, it was Parliament that killed itself. Now that is what is going to happen here. A section in this House—I do not know what is the inspiration—is moving in a direction where Parliament is going to kill itself . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: This is the point of order I wanted to raise. The whole thing is wrong. He is entirely wrong. What he says has no relevance...

SHRI LOKANATH MISRA: He can speak after I finish.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order? You are going into a discussion on the Constitution.

SHRI LOKANATH MISRA: My point of order is this, that Parliament cannot discuss this Bill relating to Constitutional amendments. (*interruption*). Madam, after the Supreme Court has given its judgment, this Parliament has no authority to discuss this Bill or to pass this Bill. It concerns the fundamental rights and no fundamental rights can be curtailed by Parliament unless there is a Constituent Assembly. Now for the Constituent Assembly to be convened, it takes some time. Therefore, we can wait. This is an unconstitutional thing which is going to be taken up in the House. I cannot participate in anything unconstitutional. You know, Madam, that I have been persistent-

cy pieaaing ior atmerence to the Constitution and the Rules of the House. Therefore, I dissociate myself from this. I walk out. I do not want to associate myself with this unconstitutional thing.

(At this stage, the hon. Member and some other hon. Members left the House.)

SHRI G. MURAHARI: Madam . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: On Constitutional issues, the Chair has no opinion. Therefore, I call Mr. Das . . .

SHRI G. MURAHARI: Madam, I am rising on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Not on the same point of order. I have given my ruling on that. On the Constitutional issue, I do not think you can speak again.

श्री गोडे मुराहरि : आप सुन तो लीजिए ।  
यहां पर आज जो बिल लाया गया है उसका  
मकसद यह है कि इस पार्लियामेंट को खत्म  
कर दें । इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर  
यह है कि जब हमारे कांस्टीट्यूशन के खिलाफ  
कोई भी कार्यवाही पार्लियामेंट में होगी और  
पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जायेगा  
फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने के लिए  
तो फिर हम उसका विरोध करेंगे । मैं आपसे  
यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह बिल  
यहां पर लाया गया है वह बिल्कुल अन-  
कांस्टीट्यूशनल है और इसे यहां पर प्रस्तुत  
करने का अधिकार आप को नहीं देना चाहिए ।  
जहां पर भी स्वतंत्रता का हनन करने की कोशिश  
हुई है वहां यही तरीका अपनाया गया है और  
यहां भी वही तरीका अपनाया जा रहा है ।  
मुझे ताज्जुब है कि आज की कम्युनिस्ट पार्टी  
और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी इसमें मददगार हैं,  
They are only playing into the hands  
of the Congress. जो चीज हो रही है वह  
प्रधिकार दे रही है तारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म

करने का। कांस्टीट्यूशन का जो अभी तक संको-  
सेन्कट पार्ट रहा है उस पर भी अमेंडमेंट करने का  
अधिकार देने वाला जो विधेयक लाया जा रहा  
है उसको प्रस्तुत करने की अनुमति आपका  
नहीं देनी चाहिए। यह गैर-कांस्टीट्यूशनल  
है। इस पर मैं आपकी रुलिंग चाहता हूँ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have  
given my ruling on this issue. Mr. Das, if  
you have anything to say, you may do so.

SHRI BANKA BEHARY DAS: I will  
be very short because it clearly shows that  
all the Members are aware of the contents  
of the Bill and the implications of the  
Bill. One question has been raised about  
this Constitution. I may, from the very  
start, inform my friend that on the 27th  
February, 1967 when the Supreme Court  
judgment came in that famous case, where  
they said that the Parliament has no power  
to amend Part III which relates to the Funda-  
mental Rights, there, there was a  
division of opinion. You will find from  
the judgment, which is with me, that 5 of  
the Judges said that the Parliament has no  
power and four of the Judges said that the  
Parliament has the power and one of the  
important members of those four was Mr.  
Wanchoo, who is now the Chief Justice of  
the Supreme Court. At the outset I want  
to inform the House that the present  
Chief Justice of the Supreme Court  
of India holds the view, according to the  
same judgment, about which so much row is  
being kicked up here, that the Parliament  
has the power to amend the Constitution or  
the provisions of the Constitution including  
the Fundamental Rights. I wanted to point  
out this to you. Secondly, here also I want  
to point out to my friends that in connection  
with the

Fundamental Rights, two previous  
judgments were there of the Supreme  
Court. In one judgment, which was a  
unanimous judgment, the  
Supreme Court held that the Parliament has  
the power to amend the Constitution  
including the Funda-

mental Rights and the second  
judgment was also, by majority, that the  
Parliament has the power. So three cases  
have cropped up where the position of the  
Parliament *vis-avis* the Supreme Court has  
been well denned. In two cases they have held  
the view that the Parliament has the power.  
Only in the latter case, because of one Judge  
majority only, the Supreme Court held a  
different view. So it is not such a thing that  
we should not consider and it has serious  
repercussions. Here I want to say that mine is  
not absolutely an amendment. Another  
mistake that is being committed here is,  
people think that is a constitutional amendment.  
I will say (that technically it is an  
amendment which I am moving here for refer-  
ence to the Joint Select Committee but  
actually the amendment of the Constitution  
has been made by the interpretation of the  
Supreme Court. I am here only to reconstitute  
the power and to give back the same power that  
the Constitution-makers gave. So mine is not  
strictly speaking, though technically mine is, a  
constitutional amendment but really the  
Supreme Court went beyond their power if I say  
with all respect, when they interpreted it. In the  
other way because here the question arises that  
a Constituent Assembly can do it. You know  
that in this Constitution there is no provision at  
all that a Constituent Assembly can be set up.  
Secondly, article 368 clearly states the process  
by which the Constitution can be amended.  
If you read the letter of the article 368, you  
will see clearly that this Parliament has  
power to amend all articles of the Constitution.  
Of course about some articles there is some  
reference to the States also but about this  
amendment, absolutely the Parliament is  
supreme. Here also again there is a difference  
being made. I will refer the friends who are  
differing to the very Preamble where the  
Constitution says:

"WE, THE PEOPLE OF INDIA,  
having solemnly resolved to cons-

[Shri Banka Behary Das.]

stitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens ..."

That means the people of India have given this Constitution. The people of India have also established a Republic here. So the will of the people of India is only exercised through the Parliament of the country. It was only in Athens, when that old democratic system was there that all the citizens were sitting together and were really passing some laws but here whatever is the will of the people is being exercised by the Parliament only. Moreover there is nothing to prevent our amending it. Here I wish to say that we live in a dynamic society and the Constitution is for the people, for the democracy, for the Republic of this country and the Constitution cannot be something more than that. We are not for the Constitution. The Constitution is for us. Just an objection is being raised that by this we are going to abridge the Fundamental Rights. It is another misnomer. If the Parliament has power to amend the Fundamental Rights, or the Constitution, that means it has the power that if they want they can even abridge it and if they want they can extend it also. Suppose we have the right to work. That is not in the Fundamental Rights, that is only there in the Directive Principles. So if we want that every citizen of India should have the right to work and that should be in the Fundamental Rights, then who will do it? Only this Parliament can do it. So to those who say that by this way we are bringing some Hitler, I say that Hitler was not born out of the Constitution. Hitler was born out of some social system and if India tries to go that way and develops a social system where Hitler can be born, that is a different question but the Constitution does not give birth to a Hitler. So I say that by giving this power, by reconstituting this power, we can only endow this Parliament some power to amend the

Constitution either to abridge or to expand. Moreover there is no danger of abridging here. Specially after the last general elections, even those who are suspecting the Congressmen, should realise that even if they want, they cannot amend it. Only when there is a consensus to a certain extent in India, whether it is the Congress that is in power or some body else is in power, that the Constitution can be amended. So the other danger that they are thinking of that the Congress, by other means can do it, is not here. I will not say much and I will only quote Mr. Wanchoo's opinion and there I will finish. In that very judgment Mr. Wanchoo has said categorically:

"The power of amendments contained in a written federal Constitution is a safety valve which to a large extent, provides for stable growth and makes violent revolution more or less unnecessary."

So those who are very much perturbed about violent revolutions, to them I want to say that if in this written Constitution we have no power to amend it, then it will lead the country to a violent revolution. So only by living in a dynamic society and by giving this power of amendment to the Parliament, you can have an orderly growth. Then the judgment says:

"It has been said by text-book writers that the power of amendment, though it allows for change, it makes a Constitution long-lived and stable and serves the needs of the people from time to time. If this power to amend is made too rigid, it loses its value as a safety valve. The more rigid a Constitution, the more likely it is that people will outgrow it and through it overboard voluntarily. On the other hand, if the Constitution is flexible (though it may not be made too easy to modify it) the power of amendment provides for stability of the Constitution and for ordered progress of the nation." I will not read further. It is a very fine paragraph which Mr. Wanchoo

has advocated here. So with these words, I wish to plead with and request Members that because the other House has passed, and a peculiar situation has developed in our country, without much discussion, this House will accept my measure so that this can be well-debated. Even those who have difference of opinion, I request them to associate themselves with the Select Committee. They can differ there and we can thrash out the issue and in the next session we can bring this Constitution (Amendment) Bill so that the instability that is now there in the minds of the people can be completely removed.

With these words I commend this motion to the House and I hope everybody will accept it before we disperse.

*The question was proposed.*

SHRI B. K. P. SINHA (Bihar): Madam Deputy Chairman, the judgment of the Supreme Court in the Golaknath case has created a legal and constitutional "gorakhdandha". This judgment has led us to a blind constitutional alley. The Supreme Court holds, reversing its two previous decisions, that the power to amend the Constitution is not derived from article 368, that the power is derived from or based on article 246 read with some relevant item in the Seventh Schedule. Secondly it holds that while Parliament has the competence to amend other articles of the Constitution it does not have the competence to amend the chapter on Fundamental Rights, Chapter III. It has been rightly pointed out by the mover that the Constitution is something permanent. And a written Constitution suffers from the infirmity of rigidity. Flexibility can only be provided by making a provision for amendments of the Constitution because society is under a constant flux. Society is always developing, always changing and new situations do arise which even the makers of the Constitution might not have foreseen that necessitates

an amendment of the Constitution. Therefore, the power to amend the Constitution including the Chapter on Fundamental Rights must be located somewhere. It was the original intention of the framers of our Constitution that this power should be located in the Parliament of India. That, was the view of the Supreme Court too. This view is supported by the numerous amendments that were passed by the Parliament of India. Dr. Ambedkar, the man who piloted the Constitution, Mr. K. M. Munshi, another member of the Drafting Committee, Mr. T. T. Krishnamachari, another member of the Drafting Committee, they all continued to be Members of Parliament when numerous amendments were made to the Constitution including amendments to Chapter III. On no such occasion did any one of these gentlemen who were responsible for the making of the Constitution take the view that the Chapter on Fundamental Rights was unamendable. Now a situation has arisen in which we do not know what to do. The Supreme Court has thrown some suggestions, some hints. They have said that while this Parliament is not competent competence may arise if there is some Act providing for a referendum or if there is a Constituent Assembly. But they have cautioned that it is a view which they have expressed off-hand and that should not be taken to be their considered judgment or opinion. Madam, Deputy Chairman, with great respect to the Supreme Court I may say when the Constitution does not provide for a Constituent Assembly, I do not know how a Constituent Assembly can be formed. If a Constituent Assembly is formed, since it is not contemplated by the Constitution the Supreme Court can take the view, and rightly take the view, that that Constituent Assembly is not competent to change the Constitution. Moreover, there is a basic misunderstanding among jurists about the nature of a Constituent Assembly. A Constituent Assembly

[Shri B. K. P. Sinha.] always marks the end of an epoch and the beginning of a new epoch. In normal times when the Constitution and the legal system continues as before, it is not proper, it is impossible to conceive of a Constituent Assembly. Therefore, a Constituent Assembly is not the proper remedy. Nor is a referendum a proper remedy because the Constitution itself does not contemplate that the Constitution can be changed by a referendum. The Constitution only contemplates amendment of the Constitution by the Parliament of India. Therefore, I feel, Madam, that this Bill, in my opinion, would not really serve our purpose. The language of the Bill also has to be improved,

SHRI BANKA BEHARY DAS: You can improve it.

SHRI B. K. P. SINHA: The Supreme Court took the view that article 368 provided merely the procedure and was not the source of the power to amend the Constitution. In my opinion that view can be taken even after this amendment is introduced in the Constitution. Also it has been the view of the Supreme Court that the Chapter on Fundamental Rights cannot be amended and there is a well-accepted principle of legal construction that what cannot be done directly cannot be done indirectly. Therefore if the position is, according to the Supreme Court, that the Chapter on Fundamental Rights cannot be amended, that they are unalterable, that they are immutable, then this amendment may be struck down by the Supreme Court. If they stick to their old attitude this amendment will be struck down. Therefore, in my opinion by passing this amendment we would be providing the Supreme Court only a face-saving device, only with a device which would enable them to pass a new judgment without reversing the judgment in the Golaknath case. Therefore while I support this measure because it might provide a face-saving device for the Supreme Court, in my opinion the malady would not be cured by this amendment. For a cure of this malady we have to depend upon a

judicial review by the Supreme Court of its own judgment and judicial reviews are not rare. I remember that when the interpretation of article 286 was considered the Supreme Court took one view earlier and two or three years later it reversed that view. Similarly when dealing with the privileges of Parliament the Supreme Court took one view in the Searchlight case; and then though professing to stick to their judgment in substance they reversed that judgment in the Keshav Singh case.

I am reminded of what happened in the American Supreme Court. When President Roosevelt got passed some New Deal legislation it struck it down. Then President Roosevelt made it clear that he was going to add by legislation to the number of judges in the Supreme Court, that he was going to put into the Supreme Court men with a new social conscience, men who were not obsessed by ideas of rights to property, men who were not obsessed by antiquated ideas. But even that was not necessary because this announcement of the President gave some sort of a jolt to the Supreme Court of America and within two years it reversed its own judgment and then sanction was given to the New Deal legislations.

I feel that enough has been said in this country about the correctness of this judgment in the Golaknath case. It is a shockingly incorrect judgment. It creates innumerable problems which are incapable of legal or constitutional solution. It is not only the politicians, it is not only the Parliament of India that takes an adverse view of this judgment. Recently, Madam, there was a seminar attended by most of the legal luminaries of this country, by men like Shri M. C. Setalvad and others eminent in the field of legal and constitutional law and the preponderance of opinion in that seminar was that this judgment was incorrect. Therefore, I feel that after this volume of opinion has been expressed in this country the Supreme Court will be wiser. And, Now, as was rightly pointed out by the mover of this Bill, the Supreme Court

is presided over by gentleman who holds the view that the Parliament at India has the power to amend even Chapter HI containing the Fundamental Rights. We know, Madam, that justice varies with the feet of the Chancellor.

AN HON. MEMBER: You want to play politics.

SHRI B. K. P. SINHA: The Chancellor has changed and I have every hope that when a new case goes to the Supreme Court, it is not only my hope but I am certain that the judgment in the Golaknath case will be upset, it will not be reversed but it will be over-ruled by a larger Bench of the Supreme Court. Therefore while I support this measure in the hope that it provides a face-saving device to the Supreme Court, though in substance it does not improve matters constitutionally, I feel we should have another weapon in our armoury. That weapon would be that very soon an appropriate case should be taken up to the Supreme Court, a case which would arise in the same situation in which the Golaknath case arose and I am certain that the Supreme Court after it has had the advantage of the opinion of the great jurists will reverse its judgment.

In the end, Madam, we know that the Supreme Court and the High Courts have been interpreting the Constitution. As I have already said, justice varies with the foot of the Chancellor and the Chancellor is not the Chief Justice of the Supreme Court only. The Chancellors are the 11 or 12 Judges who constitute the Supreme Court, the puisne Judges, the Associate Judges of the Supreme Court. They have to deal with constitutional matters; they have to interpret the Constitution. And these articles are in very general terms. In the interpretation of these articles the subjective approach of the Judge is always present and if the interpretation is to be in a progressive manner, if the interpretation is to have a progressive content, if the interpre-

.1046 RS—8.

tation is to have such a character that it advances the cause of justice and secures the welfare of the people, then the Government of India will have to think of a new mode, a different mode of selection of Judges to the High Courts and the Supreme Court. Unfortunately so far the basis of selection has been the number of case laws that a man knows but the number of case laws that a man knows may make him a good interpreter of the ordinary law of the land but to interpret the fundamental law of the land the man must have an advanced progressive social conscience, must have a comprehensive view of the world, and must know what the present complexion of the society is and the direction in which the society is moving. You can have Judges of this nature only if you get out of the present practice, of the present procedure, followed in the selection of Judges and the elevation of Judges to the Supreme Court. There is a provision in the Constitution which says that eminent jurists could be appointed Judges of the Supreme Court and High Courts but so far this provision has been respected more in the breach than in its observance. And I am sure the time has come now when the Government have to apply their mind to this aspect in the matter of making appointments to these higher courts.

Let me remind this House that the present Chief Justice of the Supreme Court of America, Earl Warren, started life as an Attorney but then he was Attorney for only a very small number of years. Then this gentleman drifted to politics and for fifteen years or more he was in politics; he was the Governor of California. But since he was an enlightened person, since he was a man who understood the American society and the direction in which the American society was moving, I think President Eisenhower lifted him from the gubernatorial chair and made him the Chief Justice of the Supreme Court of U.S.A. And what remarkable judgments he has produced, judgments which have augmented the area of

liberty of the American people. Therefore while I support this amendment I urge upon the Government to take early measures to place before the Supreme Court a new case which would enable them to overrule their old judgment. I would also urge for the consideration of the Government that the system of recruitment of Judges to the Supreme Court and the High Courts has to undergo a revolutionary change.

श्री बिमलकुमार भट्टालाल जी चौरङ्गिया (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदया, संविधान में संशोधन का जो विधेयक श्री बांके बिहारी दास ने प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। (Interruption) मूर्खों की समझ में हमारी बात नहीं आती है।

श्री नेकी राम (हरियाणा): यह तो बांके बिहारी जी पर लागू होता है।

श्री बिमलकुमार भट्टालालजी चौरङ्गिया: जहाँ जिस ढंग से जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वहाँ वैसी बात होती है। बाकी मतभेद हो सकता है। एक दूसरे को समझने की चेष्टा करना और बिना समझे कुछ कह देना दोनों में फर्क है। हमारा मतभेद हो सकता है, आपका भी मतभेद हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपसे मेरा मतभेद है, इसलिये मैं देशभक्त नहीं और आपका मुझसे मतभेद है इसलिये आप देशभक्त नहीं। हम भी देशभक्त हैं, आप भी देशभक्त हो सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे देश की व्यवस्था कैसे सुचारु रूप से चले, उसके लिये तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक अपने रास्ते से चले और दूसरा दूसरे रास्ते से चले तो कोई देशद्रोही हो गया। (Interruption) यशोदा रेड्डी जी अपनी जगह पर हैं ही नहीं इसलिये मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। उपसभापति

महोदया, मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि मुझे शांतिपूर्वक सुन लें जिससे मैं अपनी बातें कह सकूँ मुझे उलझनों में न डालें।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (आंध्र प्रदेश): मैं हिन्दी में आपकी तारीफ कर रही थी।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, Order.

SHRIMATI YASHODA REDDY: I am going to my seat, Madam.

श्री बिमलकुमार भट्टालालजी चौरङ्गिया: मुझे कद्रदां तो मिला जो अपनी जगह से कद्र नहीं कर रहा है। उपसभापति महोदया, यह जो बिल प्रस्तुत हुआ है . . . . . (Interruption)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think you must listen to him patiently.

श्री बिमलकुमार भट्टालालजी चौरङ्गिया: उपसभापति महोदया, उसके लिये परिस्थिति वैसी चाहिए जिसमें मैं बोल सकूँ। मैं इतना कमजोर आदमी हूँ कि यदि कहीं से मेरे कान पर आवाज आती है वहाँ नजर चली जाती है। वे वहाँ मोंटगोमरी की गाय का दूध पीने वाले और मैं यहाँ मिल्क स्कीम का डब्ल टोन्ड या सिगल टोन्ड मिल्क पीने वाला। उनकी आवाज भी तेज लगती है और मेरे कानों को एकदम चौकन्ना बना देती है। इधर मैं डब्ल टोन्ड मिल्क पीने वाला, मेरी हालत खराब हो जाती है। तो मैं प्रार्थना करूँगा सदन के सदस्य शांति के साथ सुनें।

उपसभापति महोदया, आपने बड़ी कृपा की जो सदन में शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया। जहाँ तक इस बिल का सवाल है यह संविधान में संशोधन चाहा जा रहा है और संशोधन चाह के क्या कहते हैं कि:

"Any provision of this Constitution may be amended in accordance with the procedure hereafter provided in this article."



हम इस संशोधन के द्वारा इस संविधान को जिसकी शपथ 26 जनवरी को केवल हम ही नहीं लेते बल्कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक को लेने के लिये कहते हैं।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : हम 17 बार अमेन्डमेंट कर चुके हैं।

श्री विमलकुमार भग्नलाल जो चौरङ्गिया : अब उनकी मूर्खता की पराकाष्ठा हो गई।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Time is running short. Let him express his opinion.

श्री विमलकुमार भग्नलालजी चौरङ्गिया : मैं प्रार्थना करूँगा उनको यहां पर बैठा दें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वह ज्यादा अच्छा काम चला सकेंगे और एक मिनट में इस बिल को पास कर देंगे।

श्री नेकी राम (हरियाणा) : आदरणीय उपसभापति महोदया, हम तो सुनना चाहते हैं वह सुनाते ही नहीं।

श्री विमलकुमार भग्नलालजी चौरङ्गिया : महोदया, जिस संविधान की हम यहां पर आकर शपथ लेते हैं और सदन के सदस्य बनते हैं—जो निष्ठा के आधार पर शपथ लेते हैं और जो ईश्वर को मानते हैं, वे ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं—तो उसके आधार पर यह चाहते हैं कि संविधान के अनुकूल काम करें और संविधान को कुरान के रूप में कहिये, गीता के रूप में कहिये, जिस तरह समाज का मार्गदर्शन करने वाले ग्रन्थ के रूप में हम उसको चाहते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इस संशोधन के द्वारा उसके हर सैक्शन में हम परिवर्तन करना चाहते हैं। जो संविधान के निर्माता थे, बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने सोच समझ कर जो आर्टिकल 368 रखा था उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, जैसा कि माननीय वी० के० पी० सिन्हा साहब ने बताया, संविधान के निर्माता यह जानते थे कि देश काल और समय के अनुसार बदली हुई परिस्थितियों

में हमको इसमें संशोधन करना होगा, मगर किन बातों में करना आवश्यक होगा उसका इशारा उन्होंने स्पष्ट दे दिया था।

उन्होंने यह नहीं कहा था कि जिन फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों के आधार पर मुझे, हम सब सदस्यों को, यहां पर बोलने का अधिकार मिला हुआ है, वह सब छीन लिये जायेंगे। इन अधिकारों पर परिवर्तन करने की कल्पना उन्होंने कभी भी नहीं की थी। जिन फंडामेंटल राइट्स के आधार पर हमारे देश में अनटचेबिलिटी को खत्म करने के बारे में लिखा है, इसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। जिन फंडामेंटल राइट्स के आधार पर हमको इतने अधिकार प्राप्त हैं तथा भाषण देने की स्वतंत्रता है। कल से अगर आपका बहुमत हो जाय तो आप चौरङ्गिया को भी यहां पर बोलने नहीं देंगे। इसी तरह से किसी और पार्टी का यहां पर बहुमत हो जायेगा तो वह भी कांग्रेस और कम्युनिस्टों को बोलने नहीं देगा। तो बहुमत के आधार पर आप किसी को बोलने न देंगे, भाषण करने में रोकटबंधन लगा सकते हैं कि चौरङ्गिया जी का भाषण कहीं दुनिया में नहीं हो सकता है (Interruptions) आप तो बकवास करने की मूर्खता कर रहे हैं। आप चले जाइये और न सुनिये।

इसी तरह से 'असेम्बल पीसफुलो' के बारे में हमारे संविधान में कहा गया है। यह अंधे कार होने पर भी हम से यह छीना जा रहा है। यह सरकार जो रघुपति राघव राजा राम की रट लगाती है, वह हमारे "पीसफुली असेम्बली" को यदि पसन्द नहीं करती है और उस पर भी वह प्रतिबन्ध लगा सकती है। अगर इस तरह से वह मनमानी करती रही तो एक दिन वह आ जायेगी कि जो भी अधिकार हम लोगों को संविधान द्वारा मिले हैं, उन से हम वंचित हो जायेंगे।

यह स्थिति देख कर मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं यहां पर एक कहानी बतलाना

[श्री विमलकुमार मन्नालाजजी चौरड़िया]

चाहता हूँ। एक चूहा और एक साधू था। वहाँ पर एक बिल्ली आ गई और उसके डर से चूहा गुरु के पास गया और कहने लगा गुरु, गुरु, बिल्ली मुझे खा जायेगी, इसलिये मुझे बिल्ली बना दीजिए। जब उसे बिल्ली बना दिया गया तो बिल्ली बन कर चूहा बहुत प्रसन्न हुआ। बिल्ली के बाद फिर कुत्ता आ गया गांव से। तो उसने कहा कि यह मुझे खा जाएगा। इसलिए मुझे कुत्ता बना दीजिये वरना कुत्ता मुझे खा जायेगा। बिल्ली की जगह उसे कुत्ता बना दिया गया। कुत्ता बनाने के बाद . . .

गृह-कार्य मंत्री (श्री वाई० बी० चव्हाण) : कांस्टीट्यूशन की बात करिये। क्या कुत्ते बिल्ली की बात कर रहे हैं।

विमलकुमार मन्नालाजजी चौरड़िया : मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ और याजी को बतला रहा हूँ। इस बारे में व्यापक रूप से बोलना पड़ेगा। अगर आपकी बात होती तो जल्दी खत्म हो जाती। (Interruption) मुझे बड़े दुःख से कहना पड़ रहा है कि मुझे अपना प्वाइन्ट नहीं कहने दिया जा रहा है। उस कुत्ते के बाद वहाँ पर भेड़िया आ गया। कुत्ते ने स्वामी जी से कहा कि मुझे भेड़िया बना दो, नहीं तो यह मुझे खा जायेगा। इस पर स्वामी जी ने उसे भेड़िया बना दिया। भेड़िया बनाने के बाद वहाँ पर शेर आ गया। इस पर उसने कहा कि मुझे शेर बना दो और फिर उसे शेर बना दिया गया। शेर बनाने के बाद वह काफी दिनों तक स्वामी जी की सेवा करता रहा। शेर बनने के बाद उसने सोचा कि अगर मैं स्वामी जी को ही खत्म कर दूँ तो मैं हमेशा के लिए शेर बना रहूँगा। इस दृष्टि से उसने स्वामी को खाने का प्रयत्न किया। मगर स्वामी जी कम गोटी खेले हुए नहीं थे। वह सब समझ गये कि वह यह गड़बड़ करने वाला है और इस तरह से मुझे खाने वाला है। इस लिए उन्होंने उसी समय कहा "पुनर मूषको भव"। (Interruption)

वही तो मैं याजी साहब आपको बतला रहा हूँ और इस तरह का उदाहरण दे रहा हूँ। आप जरा तसल्ली रखिये। तो इस तरह से वह चूहा फिर मूषक बन गया। इस लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने बड़ी मेहनत के साथ तथा हमारे देश ने अधिकारों को पाने के लिए कई आन्दोलन किये और उसके बाद हमें यह पवित्र संविधान प्राप्त हुआ। उस संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स और इसी तरह के अनेक राइट्स मिले हैं। इसमें हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को वह जो कुछ चाहता है बोल सकता है और बोलने की उसे पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। आज आप का बहुमत नहीं है तो सारे देश में आपका विरोध हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर बहुमत के कारण इस तरह का कानून बनाना चाहते हैं जिससे हम यहाँ पर भी नहीं बोल सकें और इस तरह से आप यहाँ पर भी हमें बोलने देना नहीं चाहते हो।

श्री शोलभद्र याजी : बोलने देंगे मगर बकवास करने नहीं देंगे।

श्री विमलकुमार मन्नालाजजी चौरड़िया : आपके बारे में क्या कहा जाय। आप तो यह चाहते हैं कि यहाँ पर जो संस्था है उसके द्वारा हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, उनमें भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप फंडामेंटल राइट्स में जो कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, हमारे मूवर साहब जो कुछ चाहते हैं, वे हमको बतलायें कि हमारे कांस्टीट्यूशन में जो फलां फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको हम इस लिए परिवर्तन करना चाहते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि किसी एक आध्र केस की आड़ में, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का मामला आ जाता है, जिसके जजमेंट के बारे में लोगों में मतभेद रहा हो, उसकी आड़ में क्योंकि वह जजमेंट विपक्ष में हो गया, आप यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के संबंध में परिवर्तन करना चाहते

हैं, जो कि कभी भी न्यायसंगत मालूम नहीं देता है।

हमारा जो आर्टिकल 368 है, उसमें यह दिया हुआ है जिसमें संशोधन चाहा जा रहा है:

"An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting. . ."

अभी तो इसमें दो तिहाई की व्यवस्था है।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI D. R. CHAVAN): Why do you not read it further?

SHRI MULKA GOVINDA REDDY (Mysore I: Madam Deputy Chairman, I move that the House may sit till six o'clock, because we want to pass this Bill. The sitting may be extended by one hour.

SHRI V. M. CHORDIA: We oppose it.

(Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order.

SHRI BHUPESH GUPTA: You will take the sense of the House. The very fact that we altered the agenda by a resolution of the House shows that we are very keen on passing this today. (Interruption). The earlier decision of the House will be defeated if we do not sit a little longer and have the measure passed. Therefore, what he has proposed is actually a sequel to the decision of the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will do.

श्री विमलकमार मन्नालालजी चौरङिया : यह स्पष्ट दिखलाई देता है कि यह आज पास नहीं हो सकता है और इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। अगर यह बिल आज पास नहीं हो सकता है तो इसको अगले अधिवेशन में पेश किया जा सकता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not in my hands either to adjourn at five or to carry on longer. It is the desire of the House that prevails. A suggestion has been made and you have objected to it. I want to know what is the desire of the House.

श्री चन्द्र शेखर (उत्तर प्रदेश) : मैं यह कहना चाहता हूँ कि सदन तब तक बैठे जब तक यह बिल पास न हो जाय।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Mulka Govinda Reddy has suggested that the House may sit for an hour more and there is an objection to that. So, I want to know the desire of the House. But I do want to tell the House that even after one hour or more I do not think that we shall finish the number of speakers we have.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Madam, my submission was that the House should sit till we finish discussion on this Bill. (Interruption). The whole difficulty is this. The House has altered its Order Paper in order to finish discussion on this particular Bill and if you are not going to sit for a longer period, the whole Bill is going to be delayed by four months. After all, we can sit for two or three hours more in order to avoid the delay of four months.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have never seen the House so anxious to sit for such a long time. When official business has been there, when there has been genuine Government business, Members have been, very reluctant to sit even for half an hour more. Therefore, indefinitely

[Deputy Chairman.]

we cannot sit. But if the House so desires we sit for an hour more and I should like to take the opinion of the House, whether you finish the business or not.

5 P.M.

SHRI BHUPESH GUPTA: Madam, I move that the House decides to sit to pass this Bill today.

SHRI V. M. CHORDIA: No.

SHRI BHUPESH GUPTA: We shall keep your direction in mind.

SHRI B. K. P. SINHA: Really when we passed over one item and took this up, we took it up with a certain purpose. It is not correct to say that we are passing this Bill today. We are referring it to a Select Committee. Then I think we should be prepared to sit as long as necessary. But there is another procedure to which I draw your attention. After some hon. Member has finished his speech, it is open to any Member to get up and say now the question may be put. We may take advantage of that provision.

SHRIMATI SHAKUNTALA PARANJPYE (Nominated): On a non-official day is it allowed to prolong the sitting of the House?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Official or non-official, it is always left to the Members in the House to take a decision. But I want to come to a compromise. As Mr. Bhupesh Gupta has said, if the House so desires, it can be extended but not indefinitely.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): Let us keep it within 6.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is the desire of the House? Do you adjourn now or you carry on?

SHRI V. M. CHORDIA: Adjourn.

SOME MEMBERS: Carry on.

SHRI V. M. CHORDIA: What is the decision?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Carry on.

SHRI BHUPESH GUPTA: So you heard her direction.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I hope the House will finish the business by 6 o'clock.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): We carry on till 6.

SHRI BHUPESH GUPTA: We carry on with a view to passing the Bill, to complete the business of the House, keeping in view your desire.

SHRI V. M. CHORDIA: I will not repeat. I will take sufficient time.

ये चाहते हैं कि मैं बोलना ही बन्द कर दूँ और यह है तो इसका आप प्रस्ताव पार कर लें, किन्तु...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You talk on the Bill.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : मुझे यह बताइये कि अभी तक मैंने कौन सी बात कांस्टिट्यूशन से बाहर की कही, सिवाय उसके जो मैंने शीलभद्रजी के सम्बन्ध में कही।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would like to request the Members not to interrupt so that we can expeditiously go through the business.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : उपसभापति महोदया, तो मैं आपके समक्ष अमेंडमेंट आफ द कांस्टिट्यूशन पढ़ रहा था कि किन किन धाराओं के अन्तर्गत हमारे कांस्टिट्यूशन में संशोधन किया जा सकता है। इसका प्रावधान हमारे संविधान में है। आर्टिकल 368 में यह लिखा है :

"An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House, present and voting. . ."

म दा तिहाई का बात कह रहा था, यह दो तिहाई की बात इस लिये आवश्यक समझी थी कि संविधान एक ऐसा महत्व का विषय है एक ऐसा महत्व का ग्रंथ है जिसके आधार पर हमारे देश की व्यवस्था निर्भर करती है, और इसी लिये केवल बहुमत की ही व्यवस्था नहीं रखी गई। अगर बहुमत के आधार पर वे निर्णय कर देते तो कई काम हमारे हो सकते थे। आज हमारे देश की और हमारी कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कोई भी संविधान का संशोधन लोक सभा में दो तिहाई बहुमत के आधार पर पारित नहीं हो सकता। इस संविधान की मंशा को पालन करवाने के लिये हमारे यहां पर लोक सभा में दो तिहाई सदस्य ऐसे चाहिये जो कि कोई संविधान का संशोधन पारित करा सकें, मगर यह संविधान में संशोधन करने का जो प्रस्ताव हमारे बांकविहारी दास जी ने रखा है इसके द्वारा वे दो तिहाई को हटा कर के वन हाफ मेजोरिटी से संविधान में संशोधन करवा सकते हैं। (Interruption) कैसे नहीं। इससे आर्टिकल 368 में संशोधन बचा नहीं रहेगा। केवल एक गोलक नाथ का ही केस नहीं है इस संशोधन का प्रभाव हमारे देश पर इतना व्यापक पड़ेने वाला है कि हमारा इसमें जो प्रावधान है, मूलभूत जो आधार हैं, उन पर भी हम कुठार-घात करेंगे। जहां पर दो तिहाई हटा कर के वन हाफ मेजोरिटी आपने किया वहीं पर हमारी जो भावना है, हमारी जो इच्छा है, उसके विपरीत काम होने लगेंगे। आज लोक सभा में परिस्थिति ऐसी है कि यदि संविधान में कोई संशोधन करना हो तो शायद दो तिहाई बहुमत ही उसके लिये न मिले। इस लिये बांक विहारी दास जी, आप विचार कीजिये कि क्या आप हमारी कांग्रेस सरकार को यह मौका देना चाहते हैं कि इसमें संशोधन कर के और आधे की मेजोरिटी करवा कर के वह संविधान में संशोधन पारित करवा लें और जो देश के बहुत लोगों की भावना है और जिन को संभवतः रेप्रिजेंटेशन मिल नहीं पाया है चुनाव में, उनकी भावना के विरुद्ध कार्य

किया जाय। इसमें पहला तो विरोध यही है। फिर आगे इसमें यह लिखा है :

"...members of that House present and voting, it shall be presented to the President for his assent and upon such assent being given to the Bill, the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill."

फिर प्राविजन दिया है। प्राविजन क्यों दिया है। इस लिये नहीं दिया है कि वह हमारी मर्जी पर है, हम जो चाहें वह करते रहें। दो तिहाई किस के लिये आवश्यक है :

"Provided that if such amendment seeks to make any change in articles 54, 55, 73, 162 or 241, or Chapter IV of Part V, Chapter V of Part VI, or Chapter I of Part XI, or any of the Lists in the Seventh Schedule, or the representation of States in Parliament, or the provisions of this article, the amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States, etc."

अब यह यहां पर फिर झगड़ा वन हाफ आफ द स्टेट्स लिखा है। अगर वन हाफ आफ द स्टेट्स का समर्थन नहीं मिला तो फिर क्या होगा ?

श्री शीतभद्र याजी : बिल पर बोलिये।

श्री विष्णुकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : मैं प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ कर के कि आप अपना शील कायम रखिये, भद्र बनिये और याजी रहिये। उपसभापति महोदया, इनकी जगह में न जाने कैसी स्थिति लगी है कि यह बार-बार खड़े हो जाते हैं। उस स्थिति को हटवा दीजिये।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You address the Chair. We want to go through the Bill speedily. Let him carry on.

SHRI BANKA BEHARY DAS: One thing I want to tell my friend. The amendment stands like this. The first

[Shri Banka Behary Das.]

will be that any provision of — the Constitution may be amended in accordance with the procedure hereafter provided in this article. What is that article? It is 368, where it is clearly said by not less than two-thirds of the Members of that House present and voting. By adding these words we are only telling that the fundamental rights can also be amended. Two-thirds majority is always there, because article 368 is not eliminated.

SHRI V. M. CHORDIA: Any provision of this Constitution—that includes 368 also—may be amended in accordance with the procedure hereafter provided in this article.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY:  
It is only right

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : आपका और मेरा मतभेद हो सकता है, इसका कोई सवाल नहीं है । श्री बी० के० पी० सिन्हा साहब जानते हैं कि चार-चार जगों का मतभेद हो सकता है परन्तु आपका और हमारा नहीं होगा, यह मैं नहीं मानता । लेकिन मेरा यह निवेदन है कि इसमें जो प्रावधान है, उसका आगे क्या असर पड़ेगा, यह प्रश्न आता है, अब आगे यह है :

“ . . . by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent.”

अब जितने हमारे यहां पर प्रांत हैं, उनमें से आधे से अधिक का बहुमत आप को चाहिये । जब तक वे अपनी स्वीकृति नहीं दे दें, आप का कांस्टीट्यूशन पारित नहीं समझा जायेगा । अब आज की स्थिति में सारी स्थिति गड़बड़ में पड़ रही है । हमारी कांग्रेस सरकार कहीं नहीं है, कहीं है, कहीं ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से भी आगे बढ़ करके जाना चाहते हैं, कहीं ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के जो इरादे हैं उनको सहमति नहीं देते हैं । ऐसी स्थिति

में जब यह देखा जायेगा कि हमारा कोई संशोधन पास नहीं हो सकता, तो फिर इसमें संशोधन कर देंगे कि वन-हाफ को हटाओ, वन-फोर्थ ही काफी है और फिर यह कर देंगे कि वन-फोर्थ को हटा दो, किसी की आवश्यकता नहीं है ।

SHRI D. R. CHAVAN: How could that be done? My hon. friend is going from the wrong end. There is a provision for amending the provisions of this article in proviso to article 368. You require the ratification of so many States. How could that provision be done away with? I cannot understand that.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : आपको भी हमें समझाना पड़ेगा । यह संशोधन आपने पढ़ा नहीं होगा । संशोधन में स्पष्ट लिखा है —

“The following clause shall be inserted, namely, any provision of this Constitution may be amended in accordance with the procedure hereinafter provided in this article.”

अब कोई भी प्रावीजन आप चेंज कर सकते हैं, इस प्रासीजर से, कल से यह भी कर सकते हैं कि इस प्रासीजर से नहीं उस प्रासीजर से जो हम बताएं । प्रश्न यह आ रहा है कि सार्वभौमिकता पार्लियामेंट की रहे या कांस्टीट्यूशन की रहे । यह प्रश्न स्पष्ट है । हम यह चाहते हैं कि कांस्टीट्यूशन की सार्वभौमिकता रहनी चाहिए न कि पार्लियामेंट की, यहाँ हमारा मत है ।

उपसभापति महोदया, जो इसके द्वारा संशोधन होगा । उससे हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं उनका हनन होगा । जिन-जिन क्षेत्रों पर इसका असर पड़ने वाला है, उनको एक-एक करके मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि संशोधन करेंगे जो हमारे अधिकारों का क्या होने वाला है । मैं सदन का ध्यान कांस्टीट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । फंडामेंटल राइट्स में तो बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है :—

"All the citizens shall have the right to freedom of speech" etc; "Freedom to reside and settle in any part of India . . ."

अगर यह संशोधन हो गया तो कल से कह सकते हैं कि यहां मत रहना जैसा कि शिव सेना का झगड़ा चल गया है . . .

SHRI D. R. CHAVAN: Those mentioned in article 19 are not absolute rights, they are subject to certain conditions.

(Interruptions)

SHRI MULKA GOVINDA REDDY: Let him have his say.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :

"To reside and settle in any part of the territory of India " तो कल से कह सकते हैं कि यहां मत रहो जैसा कि शिव सेना का झगड़ा चल रहा है।

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: How is he allowed to speak like that? How does the Siva Sena come?

THE DEPUTY CHAIRMAN: You must be very relevant, Mr. Chordia.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :

देखिए उपाध्यक्ष महोदया, शिव सेना का क्यों प्रश्न आता है। मैं बता दूँ यह प्रश्न है—

"to reside and settle in any part of the territory of India"

अब हम बम्बई में जाकर रहते हैं तो वहां शिव सेना का ऐसा संगठन हो गया है कि जितने भी महाराष्ट्रियन के अलावा हैं जो वहां के नहीं हैं, उनको वहां से निकाल दिया जाये, अब अगर हम रहते हैं तो झगड़ा पैदा होता है। उस झगड़े को रोकने के लिए हमारी सरकार चाहे तो इसमें संशोधन करके यह

कह सकती है कि सिवाय महाराष्ट्रियन के बम्बई में कोई नहीं रह सकता। कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत अमेंडमेंट करने का उनको अधिकार है। इसलिए इसके द्वारा जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं कि बम्बई में, कलकत्ता में, कहीं भी जाकर रहें, उसको भी रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो हम ठीक नहीं समझते।

आगे कहा गया है कि—

"to acquire, hold and dispose of property;"

हम चाहे कहीं प्रापर्टी लेवें, कहीं जायदाद बनाएं, मगर आप इससे रोक लगा देते हैं बंगाल में ऐसी चीज हो रही है, मद्रास में भी है, सब जगह ऐसी गड़बड़ी प्रारम्भ होने लगी है। इस तरह से हमारी केन्द्रीय सरकार के सामने यह प्रश्न आएगा कि इन प्रान्तीय सरकारों को नाराज करे या दिल्ली खोवे और उसका परिणाम यह होगा कि हर प्रान्त अपने यहां . . .

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: Is it relevant to the speech? He should be checked.

SHRI B. K. P. SINHA: I appeal to those hon. Members who want that this measure should be referred to a Select Committee not to interrupt him because the hon. Member wants interruption and every interruption prolongs the life of his speech.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :

मुझे बड़ा खेद है कि जब यहां परतीन तीन घण्टे तक लोग स्पीच देते रहते हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have explained it to the Members that they should not interrupt. Mr. Chordia, you are not relevant in your arguments. I am quite sure. You are merely prolonging it. You should not do it any more.

SHRI G. MURAHARI: He is only elaborating his point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. You alone understand him—you are next to him—what arguments he is . . .

(Interruptions)

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :  
उपसभापति महोदया, मुझे इसका बड़ा ऐतराज है और ऐतराज यह है कि जब यहां पर इर्रिलेवंट स्पीचेज चला कर, रिपोर्टिंग चला कर तीन तीन घण्टे तक सदस्य महोदय स्पीच देते हैं तो उनको आप कण्ट्रोल करने में हिचकिचाती हैं और जब हम एक चीज भी रिपीट नहीं करते . . . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: You express, I do not mind; but do not go on. If you have relevant points, please express them.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :  
कोन-सी चीज इर्रिलेवंट है, बता दीजिए।

श्री गोडे मुराहरी : आप चाहते हैं कि किसी तरह बिल पास हो जाये।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :  
दीखता ऐसा हो है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not mind if you speak for two or three hours but come to the point.

SHRI V. M. CHORDIA: I am speaking on the points; tell me where it is irrelevant जब हमारे कई माननीय सदस्य घण्टों तक बोला करते हैं, लेकिन आप उनको कुछ नहीं कहते फिर भी if I repeat anything, you object to it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I want this side not to interrupt him.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: I will obey you.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :  
उपसभापति महोदया, हमारा जो यह अधिकार है कि हम प्रापर्टी कहीं खरीदें उस पर भी

रुकावट पड़ सकती है, इस तरह का संशोधन संविधान के संशोधन द्वारा आ सकता है।

"to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business."

अब इसको भी देखें। हमारे उबेराय साहब हैं, अगर कल से इनके होटल बहुत हो गए और बंगाल की सरकार नाराज हो गई कि उबेराय साहब ने बहुत होटल कर लिए हैं और भविष्य में हमारे यहां पर उनके होटल नहीं होने चाहियें, उनका बहुमत हो जाये, संविधान में संशोधन हो जाये, तो वे बेचारे कहीं होटल नहीं खोल सकते।

श्री एम० एस० उबेराय (बिहार) :  
तारिक तो आगे ही कह रहा है।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :  
अभी संविधान में संशोधन हुआ नहीं, तारिक साहब ने पहले ही कह दिया कि काश्मीर में होटल मत खोलो। जब अभी से यह हाल है तो जब बिल आ जायेगा, तो भगवान ही मालिक है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। आगे दिया है, 20 में—

"Protection in respect of conviction for offences—(1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence."

"(2) No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once."

"(3) No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself."

अब हमारे यहां पर यह स्थिति हो रही है कि अगर इसमें परिवर्तन कर दिया जाये तो हमको मजबूर किया जायेगा, कोड़े पड़ेंगे अगर खुद के खिलाफ गवाही न दी। संवि-



धान में इस तरह का प्रावीजन है कि एक अपराध के लिए दो बार सजा न दें, लेकिन इसके बाद यह मूर्खता भी कर सकते हैं कि फांसी के बाद भी दो महीने की सजा दे दें। यह हो जायेगा तो बड़ी मुश्किल पड़ जायेगी इसलिए इस संशोधन के द्वारा इस आर्टिकल के ऊपर भी प्रभाव होता है। अब 21 देखिए—

"21. Protection of life and personal liberty.—No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law."

सा को चेंज करना हमारे हाथ में है, जो हम निर्णय करें वह कानून है, बहुमत के आधार पर इस तरह का निर्णय लें और संविधान में संशोधन करके उस पर सील लगा दें, तो यह न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

"Protection against arrest and detention in certain cases."

संविधान में प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि किसी प्रकार के जो केसेज होते हैं उनमें किसी को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा, किसी को डिटेन नहीं किया जायेगा। हमारे भूपेश साहब भी और बाँक बिहारी दास जी भी जब डी० आई० आर० का बिल आता है और प्रिवेंटिव डिटेन्शन का बिल आता है तो बड़े जोर से और ताकत से बोलते हैं कि हमारी सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, लेकिन मुझे अपसोस है कि आज न जाने क्या हिसाब-किताब है कि वे इसका समर्थन कर रहे हैं। अगर यह संशोधन हो जाता है और आर्टिकल 22 को परिवर्तित कर दिया जाये—आर्टिकल 22 में दिशा हुआ है—

"(1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice."

अब अगर प्रीवेंटिव डिटेन्शन या डी० आई० आर० का मामला होता है तो या कल ही आपने जो अनलाफुल एक्टिविटी का एक्ट पास किया है जिसमें श्री भूपेश गुप्ता ने तीन घंटे तक स्पीच दी, अच्छा तरह स्पीच दी।

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): You are also against preventive detention.

SHRI V. M. CHORDIA: Yes. Therefore, I am also against this.

इसलिये तो मैं इसके विरुद्ध हूँ; क्योंकि आज उस अधिकार को छीना जा रहा है, इस संशोधन के द्वारा उस अधिकार पर कुठाराघात किया जा रहा है। हमारी सरकार चाहे तो उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो यह न्यायसंगत नहीं होगा। तो मैं सदन के सदस्यों से अपील करूंगा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं है, इसको यही रिजेक्ट करने की आवश्यकता है।

आगे इसमें लिखा है :

"(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours..."

SHRI MULKA GOVINDA REDDY: He is not giving argument, Madam Deputy Chairman, He is only reading articles of the Constitution.

SHRI G. MURAHARI: They are going to amend the Constitution. That is why he has to read them. He should read the entire Constitution.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has a right to read out.

श्री विमलकुमार मन्नालावजी चौरड़िया :

उपाध्यक्ष महोदया, मुझे समझ में नहीं आता कि हम संविधान सरीखे महत्वपूर्ण ग्रन्थ में परिवर्तन कर रहे हैं और मुझे बोलने का जो हक है, उसको भी हमारे मुल्का गोविन्दा रेड्डी साहब छीनना चाहते हैं। मैं हमेशा

**[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]**

उनके साथ रहता हूँ, जहाँ भी हमारे अधिकारों का हनन होता है, मगर आज समझ में नहीं आता कि चूंकि नाथपाई साहब का बिल है, नाथपाई साहब का संसार में नाम हो जाना चाहिये कि उनका बिल पारित हो गया, इसलिये ऐसा क्यों बोल रहे हैं।

**SHRI MULKA GOVINDA REDDY:**  
Not because it is Mr. Nath Pai's. But it is Parliament which should assert its supremacy.

**श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :**  
मैंने अभी मूशक का उदाहरण दिया था। उसी तरह से जिस कांस्टीट्यूशन ने हमको अधिकार दिया, इतनी सारी बातों का, आज हम उसी को भंग करना चाहते हैं, उसको नष्ट करने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, मगर यहाँ की जो जनता है वह माफ नहीं करेगी, चाहे बहुमत के आधार पर आप जसा चाहें वैसा कांस्टीट्यूशन का कर लें, मगर जब जनता को अदालत में जायेंगे तो "पुनर्मूशक भवः" वह कहेगी, फिर से आपको चूहा बनाया जायेगा और इस संविधान के अन्तर्गत जो नागरिकों को अधिकार है, उनका उपयोग करने का अधिकार होगा।

उपाध्यक्ष महोदया, मैं आर्टिकल 22 की बात कर रहा हूँ और 22 (2) में यह दिया हुआ है, मैं उसको पढ़ चुका हूँ, इसलिये फिर नहीं पढ़ना चाहता कि 24 घंटे के अन्दर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना चाहिये। अब अगर श्री भूपेश गुप्त की गवर्नमेंट आ गई, तो वह कांस्टीट्यूशन को अपने मन का बना सकते हैं...

**श्री गोड मुराहरि :** इसीलिये तो चाहते हैं।

**श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :**  
तो सब मनमानी हो सकती है, न 24 घंटे

में मैजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत होगी न और कुछ होगी। यह होगा कि हमने जो निर्णय दे दिया है वह सुप्रीम है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तुम देशद्रोही घोषित किये गये और उसमें बिना सुनवाई के सजा दी जाती है।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN in the Chair.)]

m, 22 (3) If I :

"(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply—

- (a) to any person who for the time being is an enemy alien, or
- (b) to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention."

तो इसमें जो अपवाद डाल दिये हैं, ये अपवाद भी हटा सकते हैं। इनका राज आवे, तो अभी तो प्रीवेंटिव डिटेन्शन बिल का बहुत विरोध करते हैं, लेकिन तब प्रीवेंटिव डिटेन्शन में गिरफ्तार करेंगे और हमको बोलने का भी मौका नहीं रहेगा कि संविधान के अनुसार हमको क्या अधिकार है। यह जो प्रीवेंटिव डिटेन्शन के बारे में है, उसको पढ़ कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। आगे इसमें यह है : राइट अगैस्ट एक्सप्लायटेशन। फिर हमारे संविधान में इसके आगे और बहुत अधिकार दे रखे हैं कि :

"(1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law."

आज तो अगर कोई बेगार ले, तो उसको कानून में गिरफ्तार करके संविधान के अन्तर्गत सजा दी जा सकती है, मगर तब फोर्स लेबर सरीखा काम चलेगा, कहा जायेगा कि चव्हाण साहब आपने बहुत माल खाया है, अब उस कैम्प में जाइये और

उस कैम्प में जाकर काम करिये। अभी तो कांस्टीट्यूट आपको बचाने वाला है, लेकिन जब यह अधिकांश दे दिया जायेगा कि संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं तो फिर कैम्प में जा कर काम करना होगा, कोई मार मार कर आपसे काम लिया जायेगा, कहा जायेगा संविधान की मंगा है कि आपको काम करना चाहिये। यह संसार में चल रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है और उसी को राष्ट्रहित का नाम दिया जाता है। कहा जायेगा कि चव्हाण साहब, तुम मिनियटर रहे हो, बहुत आराम उठाया है, इनकी शक्ति ज्यादा काम करने की है, इसीलिए इनको ऐसी मेहनत करनी चाहिए। तो यह स्थिति हो सकती है। इस दृष्टि से भी, इस कसौटी पर भी इस विधेयक को कसा जाये, तो यह ठीक नहीं बैठता है।

फिर इसमें आगे लिखा है। इसके प्रोजीजन को तो मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ; क्योंकि मैं सदन का अमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूँ।

**श्री गोडे मुराहरि :** वह भी पढ़ दोजिये।

**श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :** हमारे मित्र चाहते हैं तो इनके ज्ञान के लिये पढ़े देता हूँ। वह यह है :

"(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them."

यहां पर अगर रिलिजन, रैस, कास्ट रहने देंगे, लेकिन यदि केवल क्लास को हटा देंगे, कहेंगे कि कास्ट को छोड़ कर बाकी सब पर लागू है।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN):** How long will you take?

**SHRI G. MURAHARI:** Let him continue his speech in November when the House meets next.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN):** He can finish it now. How long will you speak?

**SHRI V. M. CHORDIA:** Only 40 minutes more.

**SHRI BHUPESH GUPTA:** Mr. Vice-Chairman, I think we can move for closure now.

**SHRI G. MURAHARI:** Let us adjourn now.

**SHRI V. M. CHORDIA:** I am on my legs. Unless I finish my speech, how can we finish?

**SHRI BHUPESH GUPTA:** If he goes on like that, I should advise that at 9 o'clock you adjourn the House and then again resume with his speech at 2 A.M.

**SHRI CHANDRA SHEKHAR:** My suggestion is that the House should continue throughout the night and, if necessary, till tomorrow morning. We will not go. Let there be sunset and sunrise. Let us have our dinner here.

**SHRI BHUPESH GUPTA:** I am prepared to surrender all my daily allowance for tomorrow. Let us continue tomorrow also.

**SHRI CHANDRA SHEKHAR:** Some people, reactionaries, are standing in the way of this Bill.

**SHRI V. M. CHORDIA:** We are ready to sit throughout the night.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN):** I hope Mr. Chordia will finish his speech within five minutes.

**SHRI V. M. CHORDIA:** I have to give my arguments.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN):** We have heard you sufficiently. The House cannot go on like this.

SHRI V. M. CHORDIA: There are many other articles also...

SHRI BHUPESH GUPTA: We are up against the tactic of filibustering. But then we are prepared to sit as long as it is necessary to pass the Bill. Let the sun set and rise again. We shall sit, food or no food...

SHRI V. M. CHORDIA: We oppose this proposal of Mr. Gupta. Once it has been decided that the House will sit up to 6 p.m. ...

SHRI BHUPESH GUPTA: No, no. I knew that. Therefore, I said that the House will win in the end. This Bill keeping in view your request ... (Interruption)

SHRI CHANDRA SHEKHAR: I support what Mr. Bhupesh Gupta has said. The House will sit, if necessary, continuously for three days to pass this Bill.

(Interruption)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN): I think the sense of the House is that the House will sit until the Bill is passed.

SHRI B. K. P. SINHA: If the decision of the Vice-Chairman is that we should sit till the Bill is referred to the Select Committee, then a glass of water will not do. Some tea and coffee should be provided...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN): No, Members can make their own arrangements.

श्री बिमलकुमार भन्नाजालजी चौरडिया : मैं श्री बी०के०पी० सिन्हा की सेवा में निवेदन कर दूँ कि आपकी कृपा ने न मैं चाय पीता हूँ न काफी पीता हूँ। आपको चाहिये तो पी जाइये फिर आकर बैठ जाइये। चाय और काफी के अलावा और भी चीज मंगवा कर पी लीजिये मूँने कोई ऐतराज नहीं होगा।

SHRI B. K. P. SINHA: A glass of milk.

श्री बिमलकुमार भन्नाजालजी चौरडिया : सिन्हा साहब जानते नहीं हैं कि ग्लास आफ मिल्क अगर यहाँ पर पीयूगा ठंडा तो मेरा बोलना बन्द हो जायेगा। मैं जानता हूँ क्या पीना अच्छा क्या नहीं। इसकी सलाह देने का कष्ट न करें।

तो श्रीमन मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे कांस्टीट्यूशन में जो हमारे फन्डामेंटल राइट्स हैं उनमें हमारी सरकार परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। आगे आर्टिकल 24 में बताया है कि :

"No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment."

आज जो हमारा इसमें अधिकार दिया हुआ है कि चौदह साल से कम उम्र के लड़के को इम्प्लाय नहीं होना चाहिये अगर इस कानून के होते हुए हमारे यहाँ कई लोगों को इस तरह की नौकरियों करनी पड़ रही हैं। होटलों में जाइये, कारखानों में जाइये, कहीं जाइये और देख लीजिये कि चौदह साल के लड़के काम कर रहे हैं। तो जो लोग इन लोगों को इम्प्लाय करने वाले हैं वे तो चाहेंगे कि संविधान में ऐसा परिवर्तन करने का अधिकार हमको मिल जाय कि जिसके द्वारा हम ऐसा लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर बदस्तूर जारी रखेंगे और जारी रखते हुए नौकरी पर लगा सकें। तो इस दृष्टि से भी आर्टिकल 24 का हमें ध्यान रखना होगा। तो इस दृष्टि से भी जो हमारे बी० बी० दास द्वारा संशोधन करने का बिल रखा गया है वह ठीक नहीं बैठता है।

आगे "राइट टु फ्रीडम आफ रिलीजन" कितना बड़ा अधिकार है — अपने अपने धर्म को पालन करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है : इस में लिखा है आर्टिकल 25 में :

"Subject to public order. . ."

SHRI BHUPESH GUPTA: With your permission, on a point of order ..."

SHRI V. M. CHORDIA: I am on my legs.

SHRI BHUPESH GUPTA: My point of order is this. It is quite clear now that here is a motion, not a Bill. It is a motion for reference to a Select Committee which will consider it and then again it will come here. Therefore, the normal rule is that there may be a brief discussion after which it would go to the Select Committee. Now we should not turn it into a full discussion. The Bill is not under consideration now. It is only the motion for reference to the Select Committee. But then there is no limit to it. Therefore taking into account that to-day is the last day of the session, I move—this is within the rule—

"That this House resolves that this discussion on the motion be concluded by 6 P.M."

SHRI V. M. CHORDIA: On a point of order. He cannot move a motion under the pretext of raising a point of order. He cannot move a motion on a point of order. What is his point of order.

SHRI BHUPESH GUPTA: My point of order is this, that it is quite clear from the nature of the speeches, where milk, glass of water and so many other things are being discussed that the matter has been practically discussed. But if it appears on the fact of it that *some* people try to resort to filibustering, it is open to another Member to invoke the Rule of the House which says that the House may by a resolution, conclude a discussion within a given period of time. Therefore, in pursuance of this point of order and in order not to defeat the purpose of the House for having extended the period of discussion, I move:

That the House resolves that the discussion may be concluded by 6 P.M.

SHRI V. M. CHORDIA: On a point of order

SHRI BHUPESH GUPTA: I move this motion under the Rules of the House . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN): Which rule?

SHRI BHUPESH GUPTA: I can do it at any time. I should like to know whether I can do it, because, Mr. Vice-Chairman, there is no Business Advisory Committee now which fixes the time for a Bill here. It has not been done. Therefore, this House should take upon itself the task of settling the question of time. Now, naturally when this House is in actual session, it can do so by adopting a resolution and I have brought in a concrete resolution "that the House resolves that the discussion be concluded by 6 P.M." Now, Members can give amendments if they like.

SHRI B. K. P. SINHA: Mr. Vice-Chairman, I want that this measure should be referred to the Joint Select Committee, but I do not accept the propriety of the procedure suggested by the hon. Member. Now it is the usual practice that closure is moved after one Member has finished his speech and before another gets up. But now in the midst of a speech, he adopts this procedure . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: This is not closure. You have misunderstood me. Closure means a Member speaks and concludes and then the question is put. But here, with the permission of the House and the Chair, I move a motion, on account of the reasons I have given, "that the discussion be concluded by 6 P.M." He can conclude now or he can continue for another half-an-hour.

SHRI KRISHAN KANT (Haryana): You cannot move a motion on a point of order.

SHRI B. K. P. SINHA: He has said that he is not moving closure. But is it open to him to move a resolution of this type? Anyhow, so far as I am concerned and the people on this side—

[Shri B. K. P. Sinha.]

are concerned, we shall be very happy to have a precedent of this nature till at least 1972. Thereafter we do not bother what happens. Till 1972, hon. Members every day can be restrained by this precedent. . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: I am not restraining anybody's speech.

SHRI B. K. P. SINHA: This pre-cedent will be flung in your face every day . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: You can amend it as 12 O'Clock; I do not mind. You can amend it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN): Mr. GuDta's motion. . . .

SHRI V. M. CHORDIA: You cannot take the 'motion. He rose only on a point of order. You give your ruling on the point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. P. K. KUMARAN): There is no point of order.

SHRI V. M. CHORDIA: Then it is finished.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN): I hope the speaker will finish in another 5 minutes.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY: Mr. Vice-Chairman, I would request you to refer to Rule 245(1).

motion in connection with a Bill or on any other motion becomes unduly protracted, the Chairmar may, after taking the sense of the Council, fix the hour at which the debate shall conclude."

This is exactly what Mr. Bhupesh Gupta proposed and this is within the rules. I support the motion moved by Mr. Gupta.

SHRI KRISHAN KANT: After Mr Chordia has finished his speech, no1 J10W

r SHRI AWADHESHWAR PRA-|  
SAD SINHA <Bihar): It is Chairman's discretion.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY: It is being unduly protracted. That is what he is doing now. Therefore, the Chairman may, after tak-king the sense of the Council, fix the hour at which the debate shall conclude.

SHRI V. M. CHORDIA: This cannot be moved unless I finish my speech . . .

SHRI MULKA GOVINDA REDDY It can be moved.

SHRI BHUPESH GUPTA: It can be moved.

SHRI KRISHAN KANT: But the convention should not be broken.

SHRI BHUPESH GUPTA: You can say 6 O'Clock or 6-50; you can fix the time. We are not objecting to it. But we have a feeling that we are left in the lurch. We have a feeling— may be it is wrong—that the discussion is being protracted endlessly, unduly. This is what we feel. We are not reflecting on anybody here. Now the Business Advisory Committee has not fixed the time and since we want to pass this measure—and that is why we are sitting—it follows

that the House now fixes a general time-limit as if the Business Advisory Committee decided. Having done that, let the Member speak as long as he likes within that time-limit.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: What Mr. Gupta says is that it is not a closure and it is ju.st for fixing a time for the debate. If 6 P.M. is not enough, it may be extended to 7 P.M. but the time-limit of the debate can be fixed at any stage, if the House so feels.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN): I agree. I think under Rule 245 Mr. Gupta's motion is quite in order.

SHRI V. M. CHORDIA: I oppose It.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN): I will take the sense of the House. You can continue your speech.

SHRI V. M. CHORDIA: But I have the right to oppose his motion also. Have I not the right to oppose his motion? !

SHRI MULKA GOVINDA REDDY: There is no question of opposition. We are drawing the attention of the Chairman.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN): It is in my discretion to take the sense of the House under Rule 245.

**श्री विमलकुमार भग्नलालजी चौरङ्गिया :**  
श्रीमान हाउस का सेंस लेने से पहले मुझे अधिकार है कि मैं अपनी बात कहूँ। अगर आप वह अधिकार भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं तो आप ही छीन सकते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN): If you have anything particular to say on Rule 245 you can say that but it is left to me and it is under my discretion and I will take the sense of the House and fix the time-limit.

**श्री विमलकुमार भग्नलालजी चौरङ्गिया :**  
श्रीमान् यह जो 245 है वह इस प्रकार है :

"Whenever the debate on any motion in connection with a Bill or on any other motion becomes unduly protracted. . ."

अब मैं इसको हिन्दी में भी पढ़ देता हूँ: जब किसी विधेयक के संबंध में किसी प्रस्ताव पर या अन्य किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद अनुचित रूप से लम्बा हो जाये।

**एक माननीय सदस्य :** यह जो "अनुचित रूप से लम्बा हो जाये" कहा गया है यह चेंबर के डिस्क्रीशन पर है।

**श्री विमलकुमार भग्नलालजी चौरङ्गिया :**  
जैसा मुझे बोलने दीजिये। मुझे अपनी बात  
1046 RS—9.

कहने दीजिये अगर मुझे नहीं कहना देना चाहते हैं तो मैं क्या बला जाऊँ?

**श्री महावीर प्रसाद भार्गव (उत्तर प्रदेश) :** मैं और आप साथ चलेंगे।

**श्री विमलकुमार भग्नलालजी चौरङ्गिया :**  
आपका रथ अलग है और मेरा रथ अलग है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनइयूली प्रोटेक्टेड और अनुचित इन दोनों शब्दों को साथ साथ लिया जाना चाहिये तथा उन पर विचार किया जाना चाहिये।

**एक माननीय सदस्य :** यह तो चेंबर करेगा।

**श्री विमलकुमार भग्नलालजी चौरङ्गिया :**  
मैं अपना प्वायंट आफ व्यू रखना चाहता हूँ। अगर बोलना अनुचित रूप से लम्बा हो जाय या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने किसी बिल के सम्बन्ध में समय निश्चित किया हो और जो बोलने वाला है वह अपनी बातों को रिपीट कर रहा हो तो उसको अनुचित माना जा सकता है। मगर इस बिल के संबंध में न तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कोई समय निश्चित किया हुआ है और न ही मैं अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूँ (Interruption) हाउस तो सुप्रीम है। साधारणतः वह आदमी को औरत और औरत को मर्द नहीं बना सकता है और यह बात संभवतः आप कर सकते हैं दुनिया की पार्लियामेंटों को यह अधिकार नहीं है कि वह आदमी को औरत और औरत को आदमी बना सके मगर यहाँ की पार्लियामेंट का रवैया ऐसा मालूम पड़ता है कि वह आदमी को औरत और औरत को आदमी बना सकता है। यहाँ पर इस तरह की मनोवृत्ति विकसित हो रही है कि किसी भी चीज को कोई विरोधी करे तो उस पर चर्चा चलती रहती चाहिये। अगर सदन के पास इस समय समय नहीं है तो इस को अगले सेशन में चलाया जा सकता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN): I think your views are heard. The business Advisory Committee has allotted only two and a half hours for the Unlawful Activities Bill. This is not a more serious Bill than that and if they were to allot, they would have allotted 2½ hours or 3 hours. We have been discussing this Bill from 4 P.M. and I think by 6.30 P.M. we can conclude the discussion and take vote on this. If it is the sense of the House, we will decide that way.

SHRI V. M. CHORDIA: No, I oppose it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN): The sense of the House is that we discuss up to 6.30 P.M. and then take vote on it.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : इसी डर की वजह से मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूँ। आप बहुमत के आधार पर हिन्दुस्तान को उस गति में ले जा कर डाल सकते हैं (Interruption) आप तो अपना भेजा घर छोड़कर आये हैं। इसलिये मैं सदन तथा उसके सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह से वह हमारे भाषण में बीच में दखल न दें। अगर वे इस तरह से दखल देंगे तो मैं ज्यादा समय लूँगा। इस बहस के बारे में 6.30 बजे तक का समय निश्चित किया गया है, अगर आप इसी तरह से मुझे डिस्टर्ब करते रहेंगे तो मैं अपनी बात आपके सामने नहीं रख सकूँगा। इस लिये मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदन के सदस्यों को बीच में बोलने से रोकें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आर्टिकल 25 की चर्चा करना चाहता हूँ जिसमें यह लिखा है :

"RIGHT TO FREEDOM OF RELIGION:

Subject to public order, morality and health and to the other provi-

sions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion."

आज हम ल्हासा में क्या देख रहे हैं और तिब्बत में आज क्या बात हो रही है। जो लोग वहाँ पर धर्म को चलाने वाले थे, जो बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, जो सारे संसार में बुद्ध धर्म का नारा फैलाने वाले थे, उनको आज वहाँ पर समाप्त किया जा रहा है और उन्हें धर्म का पालन नहीं करने दिया जा रहा है। मुझे अपने कांग्रेस भाईयों के ऊपर तरस आता है कि कुछ लोगों के शगड़े में आकर जो कि उस संस्कृति में विश्वास करते हैं, जहाँ पर धर्म नहीं रहता है, जहाँ पर किसी तरह की धार्मिक व्यवस्था नहीं रहती है, मंदिर नहीं रहते हैं, मस्जिद नहीं रहते हैं। इस तरह के लोगों के शगड़े में पड़कर जिनका कोई सिद्धान्त नहीं है वे आज हमारे अधिकारों को संविधान में संशोधन करके छीनना चाहते हैं। अगर हम इस तरह से धर्म में परिवर्तन करते रहे तो फिर "बुद्धम् शरणम् गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामी, संघं शरणं गच्छामी" कहने की जरूरत नहीं है। इसलिये मैं कांग्रेस के सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि यह जो तरीका है वह गलत है। जो एक धर्म पर विश्वास करते हैं जो भिन्न भिन्न धर्म पर विश्वास करते हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिये कि इस तरह का संशोधन करने का विधेयक जो लाया जा रहा रहा है क्या वह उचित है? मैं तो सब सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि उसको आउट राइट रिजेक्ट कर देना चाहिये।

फिर आगे इसमें धर्म के बारे में प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज ल्हासा में कोई अपने धर्म की बात नहीं कह सकता है। धर्म की बात तो छोड़ दीजिये वहाँ पर आज धर्म का नाम भी कोई नहीं ले सकता है। यहाँ हिन्दुस्तान में इस बात की तो छूट है और उसी



छूट को हमारी सरकार, हमारे जो मित्र हैं, अपने संशोधन द्वारा छीन लेना चाहते हैं और इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

इसमें आगे आर्टिकल 26 "फ्रीडम टू मैनेज रिलिजियस अफेयर्स" की बात कही गई है। हमारे यहां जो धार्मिक संस्थान हैं उनकी व्यवस्था हम कैसे करें उसको हमको देखना चाहिये। आज हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्म हैं। हमारे देश में भिन्न भिन्न व्यवस्था वाले सम्प्रदाय के लोग हैं और वे अपने धार्मिक संस्थान चलाते हैं एक धर्म ऐसा है जहां पर मंदिरों में कुछ चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वहां का जो पुजारी होता है वह इस्तेमाल करता है। कुछ धार्मिक संस्थान ऐसे हैं जहां पर जो कुछ चढ़ावा होता है वह समाज के काम में तथा उस संस्थान के काम में प्रयोग में लाया जाता है। इस तरह से हमारे देश में अनेक प्रकार की रूपताएं हैं।

SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Vice-Chairman, you have fixed now, with the consent of the House, that the discussion should conclude at half past six. Now therefore it is reasonable that those having other points of view should be given a little chance to speak. It is reasonable.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Therefore, Chordia is making good points but he will kindly leave some time for others also who have different points of view.

SHRI B. K. P. SINHA: You do not do that. Take the full time and let the closure be moved.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No question of closure. The House has decided 6.30.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : उप सभापति महोदया, आपकी अनपस्थिति में मुझे अकेला समझकर इन

बहुमत वालों ने न जाने क्या क्या निरंकुशता की।

श्री चन्द्र शेखर : अकेले में भी आपको कोई खतरा नहीं है।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : इन सब ने साढ़े छः बजे तक का टाइम लिमिट कर दिया और मेरी युद्ध करने की सीमा बांध दी। जिस तरह से वह कौरवों के बीच में अभिमन्यू उनके चक्रव्यूह में फँस गया था और उसके सारे साथी चले गये थे, वैसे ही उपसभापति महोदया, मेरे साथ बीता है। मैं चाहूंगा कि कम से कम आप न्याय का पक्ष लेकर के जो आप लेती रहती हैं और लेती हैं, इसका ध्यान रख कर के जो कौरवों का संगठन मुझे समाप्त करने पर तुला हुआ है, उससे मुझे बचाव दोगी।

उपसभापति महोदया, मुझे इन लोगों ने अभी तक चार आर्टिकल्स तक चलने दिया और मुझे ज्यादा काम नहीं करने दिया। तो आर्टिकल 26 में यह है:

"Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—

(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;"

आज हमारे यहां पर धार्मिक काम के लिए हम मंदिरों का निर्माण करते हैं, प्रातः काल भगवान का भजन करते हैं, मन्दिर में घंटा बजाकर के भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन जो आज हमारे भाई चीन में हैं उनकी मनोवृत्ति का यहां पर राज आ गया तो वह भी प्रजातन्त्र की आड़ लेकर के संविधान में संशोधन कर सकते हैं कि मंदिरों का घंटा बजाना बन्द करो। महावीर दास जी अभी तक आपने बहुत सा घंटा बजाया है, अब आप बन्द कर दीजिये। इस तरह से

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]  
संविधान में संशोधन कर के हमारी जो धार्मिक आसक्तियां हैं, हमारी जो धार्मिक मन्यताएं हैं उनको भी रोकने का असफल प्रयास किया जा सकता है। तो उपाध्यक्ष महोदया, यह संशोधन हमारे लिये बहुत बड़ा धातक है। फिर आगे बताया है :

"(b) to manage its own affairs in matters of religion;"

हम अपनी धार्मिक व्यवस्था अपने ढंग से करना चाहते हैं।

SHRI P. K. KUMARAN (Andhra Pradesh): This has nothing to do with religion.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया: कम्युनिस्ट पार्टी का रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। इस लिये कुमार साहब को भी रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोगों को रिलीजन से मतलब है, हमारे अब्दुल शकूर साहब को है, महावीर दास जी को है। चन्द्र शेखर जी को धर्म से कोई मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन महावीर प्रसाद भार्गव जी को है।

श्री चन्द्र शेखर : मैंने आप को एक सलाह भेजी है।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया: आप की सलाह को मैं मानता हूं और जहां भी जाऊंगा, आपको साथ लेकर जाऊंगा। तो उपाध्यक्ष महोदया, मेरा टाइटम ये व्यर्थ न लें इस की आप व्यवस्था करने की कृपा करें।

इस में आगे यह लिखा है :

"to manage its own affairs in matters of religion;"

हम धार्मिक व्यवस्था अपने ढंग से करेंगे, सके बारे में इसमें लिखा है। लेकिन संविधान में यह संशोधन हो जाने के बाद हमारी

धार्मिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात हो सकता है और हमारी धार्मिक व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिये ये आग्रह कर सकते हैं। इस लिये हम इसका विरोध करते हैं।

फिर आगे बताया है :

"to own and acquire movable and immovable property;"

आज हमारी धार्मिक संस्थाओं को चलाने के लिये मंदिर को चलाने के लिये, हमारे महावीर दास जी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब इन के यहां पर कोई मन्दिर होता है तो उसके लिये कुछ जमीन लगी रहती है ताकि उसकी आमदनी पुजारी लेवे और वह उसकी व्यवस्था करें। अब अगर इसमें संशोधन कर दिया गया तो जो मंदिर की आमदनी है, वह समाप्त की जायगी। इस प्रकार मंदिर अपने आप समाप्त हो जायेंगे, मंदिर नष्ट किये जा सकेंगे।

फिर आगे यह है :

"to administer such property in accordance with law."

कानून के हिसाब से इस व्यवस्था को चलायें इस में भी प्रावधान किया जा सकेगा।

अब आर्टिकल 27 की कसौटी पर इसको कसना चाहता हूं कि आर्टिकल 27 के हिसाब से यह कितना ठीक बैठता है :

Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion.

"No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination."

अब अगर हमारे कम्युनिस्ट भाइयों की सरकार आ गई या ऐसे लोगों की सरकार आ गई जिनका धर्म में कोई

विश्वास नहीं है तो आज उसकी जो आमदनी होती है...

SHRI BHUPESH GUPTA: How long do we sit?

SHRI V. M. CHORDIA: Up to 7.45. You don't worry. I will sit and hear you.

SHRI BHUPESH GUPTA: But you are most undemocratic.

SHRI V. M. CHORDIA: How?

SHRI BHUPESH GUPTA: You will not give any time to others.

SHRI V. M. CHORDIA: I will give you time. We can extend the time.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You should address the Chair and not look here and there.

SHRI BHUPESH GUPTA: After the mover, Madam, you called two opposers. You have not called a single supporter of the motion.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: Mr. B. K. P. Sinha spoke in favour of it.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :  
उपसमाध्यक्ष महोदया, मैंने अपनी कमजोरी पहले भी बताई और अभी भी बता दूँ कि मैं बड़ा कमजोर हूँ, इसलिये आप इनसे कहिये कि खामोश रहें।

हाँ, तो मेरा यह निवेदन है कि इस पर कोई टैक्स नहीं है, परन्तु हमारे बन्धुओं की दृष्टि में यह जो मन्दिरों, मसजिदों और धार्मिक स्थानों की आमदनी है, वह बड़ी खटक रही है। वे कहते हैं कि मन्दिरों और मसजिदों में इतनी अधिक आमदनी है कि उसको सरकार को टैक्स के रूप में ले लेना चाहिये। उपसमाध्यक्ष महोदया, ये मन्दिर, मसजिद कितना काम करते हैं, इसकी अनुमति तो वहाँ पर जाने वाला ही कर सकता है। जो कभी नमाज पढ़ने नहीं गया हो उसे क्या मालूम है कि नमाज का क्या मजा है। जो

कभी मन्दिर में नहीं गया हो उसको क्या मालूम होगा कि मन्दिर में जाने और भगवान का दर्शन करने में क्या लाभ होता है। यह उसी प्रकार है कि यदि किसी से यह कहा जाये कि कच्चा आम खाइये, कैसा लगता है। उसने कह दिया खट्टा लगता है। फिर उससे पूछा कि क्यों भाई, नींबू कैसा लगता है। तो फिर उसने कह दिया कि खट्टा लगता है। तो दोनों का स्वाद एक है। लेकिन यदि कोई बीमार होता है, तो उसको कच्चा आम खाने का नहीं दिया जाता है, मगर उसको नींबू का शर्बत पिलाने के लिये कहा जाता है। खट्टे दोनों हैं, मगर दोनों का प्रभाव अलग अलग है।

एक भारतीय सदस्य : क्या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं ?

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :  
आप घर जा सकते हैं।

तो इसमें यह प्रावधान रख करके उन पर टैक्स लगने लगेगा। इस प्रकार जो हमारे यहाँ की मन्दिरों की व्यवस्था है उसका यह ध्वंस करने वाला है, उसको नष्ट करने वाला है। इस लिये इसका मैं विरोध करता हूँ।

आगे आर्टिकल 28 की कसौटी पर इसको कसना चाहता हूँ। आर्टिकल 28 कहता है :

"(1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds."

हमारे यहाँ पर एजुकेशन में किसी भी धर्म को पढ़ाने पर रोक है। लेकिन इसमें संशोधन करके हमारे कम्युनिस्टों का जो धर्म है उनको पढ़ाने की व्यवस्था की जा सकती है। इस दृष्टि से भी यह बड़ा घातक है।

फिर आगे सबक्लोज 2 कहता है :

"(2) Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

which is administered by the State but has been established under an endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution."

यह भी यह उड़ा देंगे । अगर कोई धार्मिक व्यवस्था करता है और उसमें अगर सरकार किसी को मदद देती है, तो उस अपवाद को भी ये हटा देंगे ।

फिर कल्चरल और एजुकेशनल आता है ...

SHRI M. M. DHARIA (Maharashtra):  
Read it twice.

SHRI V. M. CHORDIA: I will read it for your convenience, don't worry. But please go and sit in your own seat.

"Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same."

यहां पर भी अगर इस कसौटी पर कसें तो गड़बड़ पड़ती है । आज हम को अधिकार है कि हम अपनी भाषा में काम करें, अपनी भाषा सीखें, अपनी भाषा में पढ़ें लिखें । हमारे सेन साहब और भी आगे बढ़ गये कि हमारी एजुकेशन मदर टंग में प्रारम्भ हो और उसके बाद रोजनल लैंग्वेज में हो । कल हमारे अंग्रेजी के गुलाम बहुमत में आकर के कहें कि हमारे देश की भाषा केवल अंग्रेजी होगी और दूसरी कोई भाषा नहीं हो सकती, तो हमारी बड़ी दुर्गति होगी, हमारे देश की बड़ी दुर्गति होगी । जो संविधान में हमको प्रोटेक्शन दिया गया है, वह इस संशोधन के अन्तर्गत आप खत्म कर रहे हैं ।

श्री भूपेश गुप्त : अब आपकी बड़ी पार्टी हो गई है । असेम्बली बन्द कर दीजिये पालियामेंट में ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :

अरे साहब, आप पालियामेंट भी रहने दोगे, इसमें भी मुझे शंका है ।

6 P.M.

तो इस लिहाज से यह जो अधिकार इसमें दिया जा रहा है कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को भी परिवर्तित कर दें, यह वही भी न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता । फिर आगे है :—

"No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds or grounds only of religion, race, caste language or any of them"

हमको काश्मीर के बारे में मालूम है कि कुछ लड़के और लड़कियाँ ने इसलिए धर्म-परिवर्तन किया क्योंकि वहां पर उस धर्म के बन जाने के परिणामस्वरूप नौकरियाँ अच्छी मिलती हैं, मैडीकल कालेज में एडमिशन मिल जाता है । अगर यह परम्परा चल गई तो फिर यह होगा कि अमुक जाति के होंगे तो एडमिशन और अमुक जाति के होंगे तो रिजर्वेटेड । इस दृष्टि से इसमें संशोधन चाहिए था, इतना व्यापक अधिकार सरकार को देना चाहते हैं, इसलिये भी मैं इसका विरोध करता हूँ । आगे आर्टिकल 30 के अन्दर है :—

"All minorities, whether based on religion....

SHRI BHUPESH GUPTA: We know it.

SHRI V. M. CHORDIA: You know it but I do not know it. Let me read it first and then explain.

श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह : कितने आर्टिकल और लेंगे ?

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : सब कसौटी पर रखेंगे, कांस्टीट्यूशन है, हम हैं, आप हैं और टाइम है । आर्टिकल 30 :—

"All minorities, whether based on religion or language, shall have the

right to establish and administer educational institutions of their choice."

एजुकेशन कमीशन के प्रतिवेदन पर जो संसद्-सदस्यों की समिति बनी थीं उसमें मिस्टर बेरो थे। उसमें मिस्टर बेरो ने इस पर जोर दिया था कि जो माइनारिटीज हैं, चाहे लैंग्वेज की दृष्टि से, चाहे जाति की दृष्टि से, उनको उनकी भाषा और उनका रिलीजन चलाने का व्यवस्था हो। आज तो हमारे कांस्टीट्यूशन में अधिकार है और हम उस अधिकार के आधार पर हैं—चाहे हम हिन्दी या रीजनल लैंग्वेज के कितने ही हामी हों—इस पक्ष के हैं कि संविधान में माइनारिटीज को जो अधिकार दिये हुए हैं, चाहे भाषा के मामले में, चाहे धर्म के मामले में, उनका पालन होना चाहिए। आपका बहुमत हो जाय तो किसी के बोलने पर भी प्रतिबन्ध लगा दें, कोई काम करवाना हो तो उसके लिए येनकेन प्रकारेण किसी भी तरह का प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र पारित कराने की कोशिश करें, उस दशा में हम यह कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे संविधान में संशोधन के पारित हो जाने के बाद उसका दुरुपयोग नहीं होगा। कल कह देंगे कि तुम्हारी लैंग्वेज मलयालम है, नहीं चलेगी, कन्नड़ है, नहीं बोल सकते, अंग्रेजी में बात करनी होगी, अंग्रेजी हमारे देश की भाषा होगी। इस कारण मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। आगे देखिए . . .

श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह : सारे पढ़ जाओ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : मेरे अधिकार पर आप कुठाराघात करते हैं और चाहते हैं कि मुझे बोलने का भी अधिकार न हो आप हमको कत्ल किये जा रहे हैं और हमें जवान खोलने की भी इजाजत नहीं।

श्री बी० डी० खोबरगड़ (महाराष्ट्र) : चौरड़िया जी सेलेक्ट कमेटी में जाये तब गिरोध करना।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : सेलेक्ट कमेटी में जाए ही क्यों। आप मेरी बात स्वीकार कर लीजिए मैं अभी बैठ जाता हूँ। 'राइट टु प्रापर्टी'—हमारा कितना मूलभूत अधिकार है हमारी सम्पत्ति पर हमें अधिकार मिला हुआ है।

श्री चन्द्र शेखर : आपका महाभारत कब खत्म होगा ?

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : उपाध्यक्ष महोदया माननीय चन्द्र शेखर महाभारत में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं कांस्टीट्यूशन के बाद घर पर मैं उनको महाभारत भी सुनाऊंगा मत्स्य पुराण भी सुनाऊंगा।

श्री चन्द्र शेखर : और सब खत्म हो गया तो महाभारत और मत्स्य पुराण से पढ़ना चाहते हैं।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : Compulsory acquisition of property. यह हमारे यहां है मगर जब संशोधन हो जायगा तब। आगे बताया है :

"No property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose . . ."

केवल यहां पर दिया हुआ है 'पब्लिक परपज'; पब्लिक परपज के लिए चाहिए तो कानून के जरिए ले सकते हैं। फिर 'पब्लिक परपज' क्या हो जायगा ? बी० के० पी० साहब को नहीं मालूम है। भूपेश गुप्त को कोई बंगला चाहिए तो उसके लिए बंगला रखना पड़ेगा जमीन रखनी पड़ेगी वह पब्लिक परपज हो जायगा क्योंकि भूपेश गुप्त का इन्टेरेस्ट राष्ट्र में है और राष्ट्र के लिए भूपेश गुप्त आवश्यक है।

श्री चन्द्र शेखर : अब महाभारत से पढ़िए।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : उपमह्यक्ष महोदया ये मन्त्रको मेरी डायरी

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

नहीं करने देना चाहते। आप महाभारत से पढ़िये अगर आपको कांस्टीट्यूशन नहीं समझ में आता। अभी कांस्टीट्यूशन में बहुत काम बाकी है। उसमें यह लिखा हुआ है :

“... which provides for compensation for the property...”

यह मैं इसलिये पूरा नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। तो इस अधिकार पर भी हमारी सरकार कुठाराघात करना चाहती है।

श्री कृष्ण शर्मा : खत्म हो गया ?

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : अभी तो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूँ। (Interruption.) उपसभापति महोदया हमारे बन्धुओं की बेचैनी बहुत बढ़ रही है। जिनके पास प्रापर्टी नहीं है उनको घबड़ाने की कोई जरूरत नहीं है जो केवल कॉंग्रेस-बैंक का चेक काट कर काम चलाना चाहते हैं उनके लिए कोई आपात्त नहीं लेकिन जिस के पास थोड़ी भी सम्पत्ति है झोंपड़ी भी है वे तो चाहते हैं कि मेरी झोंपड़ी से प्रेम बना रहे मेरी झोंपड़ी पर कोई कब्जा न करे। बिजू पटनायक जैसे लोगों के लिये जिसने कहा कि मेरी प्रापर्टी कोई एक रुपये में भी ले ले वैसे लोगों के लिए कुछ कहता नहीं लेकिन जिनके पास प्रापर्टी है वे महसूस करते हैं कि हमारी प्रापर्टी पर कोई भी कब्जा न करे और कानूनी तरीके से। अब हम सरकार को संशोधन करने का अधिकार दे दें...

श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह : चौरड़िया जी झोंपड़ी की ही बात नहीं है आपकी कपीज और पाजामा भी प्रापर्टी है।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ बी० के० पी० साहब को। यह भी कह सकते हैं कि यह जो तुम्हारा

फाउन्टेनपेन है इस प्रापर्टी को भी तुम रख नहीं सकते इस अधिकार को भी छीन सकते हैं और मुझे इस फाउन्टेनपेन से वंचित किया जा सकता है। यह अधिकार हम देना नहीं चाहते। इस पर मैं ज्यादा समय सदन का लेना नहीं चाहता। (Interruption.)

आर्टिकल 32...

श्री बी० डी० खोबराड़े : और 25 मिनट लोभे ? इसलिए पूछा क्योंकि आप कहते हैं कि ज्यादा समय नहीं लेना चाहते।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : मुझे अपना पाइन्ट तो प्रेस कर लेने दो। Right to Constitutional Remedies. कितना बड़ा है। हमको संविधान के अन्तर्गत कार्य करने का अधिकार, मगर वह अधिकार छीन रहे हैं। जो अधिकार देने वाली व्यवस्था है उसी को समाप्त करना चाहते हैं।

श्री अबधेश्वर प्रसाद सिंह : दो दिन की जिन्दगी है उसमें अधिकार क्या।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : कितने दिन की जिन्दगी है सौ-दो सौ बरस की।

“The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.”

गारन्टी की है मगर जहाँ यह गारन्टी निकली कि सब चीजों की गारन्टी हो गई फिर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, भूपेश गप्त कहेंगे कि जो हमने कह दिया वह पत्थर की लकीर इसलिए कोर्ट में जाने की हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि और आर्टिकल पसन्द न आए हों मगर यह देखें कि इस आर्टिकल के अन्तर्गत जो मूलभूत अधिकार दिया हुआ है न्यायालय में जाने को उसको छीनने का भी वे इस संशोधन के द्वारा अधिकार दे रहे हैं।

"The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs . . ."

बेचारा सुप्रीम कोर्ट कहां से आदेश देगा अगर हम उसका अधिकार छीन लें। अगर हम इसे मानने का निर्णय कर लें तो बेचारा सुप्रीम कोर्ट कहां से डाइरेक्शन्स देगा, कहां से आर्डर्स देगा, कहां से रिट जारी करेगा; कहां से हैबियस कॉर्पस, मेन्डामस, प्रोहिबिशन, कोन्वार्न्टो देगा? कोई नहीं दे सकता। इस आर्टिकल की दृष्टि से भी हमें इसका विरोध करना चाहिए।

श्री चन्द्र शेखर : महाभारत का अठारहवां अध्याय शुरू कीजिये।

श्री बजरिगेश्वर प्रसाद सिंह : हैबियस कॉर्पस आदि पर कुछ भाषण हो।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : उपसभापति महोदया, ऐसा व्यक्ति जो हैबियस कॉर्पस के न जाने कितने किस लड़ चुका है वह मुझसे कहता है कि मैं भाषण दूँ। लेकिन अगर सचमुच में बी० के० पी० सिन्हा सहित उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वे मेरा एड्रेस नोट कर लें—166, राज्ज एवेन्यू आ जार्ज, एक घन्टे, दो घन्टे, तीन घन्टे जितना चाहेंगे मैं बराबर एडवाइज करूँगा।

उपसभापति महोदया, तो आगे यह है :

"Parliament may by law determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to the members of the Armed Forces . . ."

कितना अच्छा आर्टिकल है, कांस्टीट्यूशन के निर्माताओं ने बहुत सोच समझ कर एक एक शब्द चुन कर रखा है जिससे कि हमारे देश में व्यवस्था ठीक तरह से चले, आर्मी ठीक रहे डिफेंस के लोग ठीक तरह से काम करें, लेकिन जब एकतन्त्री शासन का निर्माण करने का इरादा होता है तब ऐसे संशोधन

स्वीकार करने को प्रस्तुत हो जाते हैं कि संविधान में यह भी संशोधन कर दें कि सारा राज्य मिलिटरी का होगा किसी और का नहीं होगा।

तो यह जो संविधान का संशोधन करने का पार्लियामेंट का अधिकार दिया जा रहा है फंडामेंटल राइट्स भी नष्ट कर देने के बारे में उसमें ठीक नहीं समझता। इसी 33 में आगे यह है :

"...or the Forces charged with the maintenance of public order, be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them."

अब 34 में यह है :

"Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a State or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force..."

यह अधिकार भी हमारे कांस्टीट्यूशन में बढ़ा अच्छा दिया है। इस पर व्यापक चर्चा इसलिये नहीं करना चाहता कि मुझे और भी प्राइंट कहना है।

आगे यह है :

"Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) Parliament shall have, and the Legislature of a State shall not have, power to make laws—

(i) with respect to any of the matters which under clause (3) of article 16, clause (3) of article 32, article 33 and article 34 . . ."



[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

अब एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो कितना समय सदन का नष्ट होगा। हमारे भूपेश गुप्त जी इसलिये इंटरस्टेड हैं कि बंगाल में इनकी सरकार है . . .

SHRI P. K. KUMARAN: You have made yourself sufficiently clear.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :

हमारे कुमारन् साहब को क्यों बुरा लगता है, इसलिये कि केरल में इनकी सरकार है।

SHRI MULKA GOVINDA REDDY: He is not from Kerala, but from Andhra.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :

ठीक है, केरल में इनके मत को सरकार है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think Mr. Chordia is getting tired out a little.

SHRI V. M. CHORDIA: I am not tired, Madam.

श्री चन्द्र शेखर : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हम लोगों का समय तो बर्बाद ही हो रहा है, अगर वह महाभारत या पुराण का पाठ करें तो कम से कम उनका जीवन तो सफल हो जायगा।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : कितना अविवेकशील प्रस्ताव है, मुझे ऐसा लगता है कि याजी जी के पास बैठने का असर आपको भी हो गया है, मैं तो अभी तक याजी जी को ही अविवेकशील समझ रहा था लेकिन अब आप पर भी प्रभाव हो गया है। यह समय महाभारत और पुराण का नहीं है।

श्री बी० डी० खोबरागड़े : महाभारत में क्या क्या है, उसे कितना पढ़ा है यह भी तो बताइये।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : तो उपसभापति महोदया, जब यह राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं तो स्टेट्स में . . .

SHRI P. K. KUMARAN: I think the hon. Member will concede the Fundamental Right to others also to express their opinion on this Bill.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :

कितना अच्छा सुझाव दिया है लेकिन यह भूल गये कि जो बोलने वाले हैं उस पर कितना प्रतिबन्ध इन्होंने लगाया, जो चाहते थे कि नेक्स्ट सेशन में इस पर गम्भीरता से विचार करते उनको कितना कष्ट दिया वह भूल गये, जब भार्गव साहब ने प्रस्ताव किया उस समय भूल गये कि इंडियन पीनल कोड का प्रस्ताव है लेकिन उस वक्त कुमारन् साहब चुपचाप उसको मान गये, मी। मांठा हप्प कड़वा कड़वा थू, जब भार्गव साहब ने प्रस्ताव रखा उस समय विचार नहीं किया कि सदन के सदस्य उसी विधेयक का अध्ययन करके आये हैं जो कि चमनलाल जी का है लेकिन उस वक्त हां में हां मिलाने के लिये चूंकि अपने दल का स्वार्थ था उसको मान गये, उस समय आपका विवेक कहाँ गया था, आपका न्याय कहाँ गया था, प्रजातन्त्र की शिक्षा देना चाहते हैं।

उपसभापति महोदया, आर्टिकल 35 इस तरह से कहता है :

"Legislation to give effect to the provisions of this part."

वह मैं पढ़ चुका हूँ। तो हमारे संविधान में विधान सभाओं को अधिकार दे रखा है वह अधिकार भी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है लेकिन इससे यह होगा कि कहेंगे कि उनको भी पूरी छूट दे दी जाए, हमारे बंगाल के जो माननीय भूपेश गुप्त जी हैं वह तो बहुत खुश होंगे कि वहाँ के श्री मुखर्जी जो मुख्य मंत्री हैं वह जो चाहे सो कानून बना लें, वह कहें कि हम अपनी व्यवस्था करेंगे, चाहे वह कानून कौन्सिल में हो या कहीं हो सब को बालाएँ तक में रख कर अपना मनमानी राज्य चलाना चाहें तो वह कर सकेंगे और कुमारन् साहब तब खुश होंगे जब कि केरल में भी कुछ इसी तरह होने लगे। तो मैं कांग्रेस



के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस देश की अखंडता के लिये, इस देश की रक्षा के लिये, सार्वभौमिकता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस तरह के अमेंडमेंट लाकर के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार बहुमत को न दें, यह कभी न्याय संगत नहीं होगा।

अब जहां तक फंडामेंटल राइट्स का सवाल है वह तो पूरा हो चुका।

श्री बा० डो० खोसराड़े : अब महा-भारत ले लीजिये, वह पूरा हो जाय।

श्री विमलकुमार भन्नालालजी चौरड़िया : मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है।

उपसभापति महोदया, अब सवाल यह आता है कि काश्मीर के लिये जो आर्टिकल 370 रखा है उसको हटाया जाय और उसको दूसरे हिस्सों के स्तर का माना जाय तो फिर दूसरी ही बात कही जाती है। आज काश्मीर की क्या दुर्दशा हो रही है, एजिटेशन हो रहा है, गोलियां चल रहीं हैं, लोगों को जेलों में पटका जा रहा है लेकिन फिर भी कहते हैं कि वहां की व्यवस्था वहां के लोग ही करेंगे। उस आर्टिकल के बारे में हमारे मित्र लोग बड़े दुखी होते हैं कि हमको अधिकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उसमें कुछ नहीं करना चाहिये, लेकिन इस संशोधन का अधिकार है कि जो चाहे संशोधन कर लें। यह तर्क कैसा है, इस तर्क पर हंसी आती है।

उपसभापति महोदया, फिर इसमें कुछ डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं और डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ बंधन हमारी सरकार पर हैं कि हमारी जनता की अपेक्षाएँ पूरी हों इस दृष्टि से कुछ प्रावधान किये गये हैं। मैं सब तो पढ़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है लेकिन उदाहरण के लिये यह पड़ता है :

"Organisation of village panchavats. . ."

SHRI BHUPESH GUPTA: Madam, I would like to know it. He is now speaking about the Directive Principles. Now, as you know, the Supreme Court judgment is only confined to the Fundamental Rights. They have said how the Fundamental Rights could be amended. The Directive Principles do not come in at all- Now, you can 'better follow his suggestion and discuss the Mahabharata.

श्री विमलकुमार भन्नालालजी चौरड़िया :

यह बैरिस्टर हैं, मुझे इन पर तरस आता है, जब संविधान के किसी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार ले रहे हैं तो यह भी उसमें आयेगा।

SHRI BHUPESH GUPTA: No, no. You are mistaken. I have got the Supreme Court judgment with me here. The Supreme Court judgment only relates to the Fundamental Right's and the majority judgment says that Parliament cannot amend the Fundamental Rights as contained in Part III of the Constitution. It does not extend beyond that. Even according to the Supreme Court judgment the other provisions of the Constitution" can be amended by Parliament. Therefore, obviously the hon. Member now is so exhausted that, even with the Mahabharata in front of him, he has forgotten everything.

श्री विमलकुमार भन्नालालजी चौरड़िया :

उपसभापति महोदया, यह मेरा समय ले रहे हैं।

SHRI B. K. P. SINHA: I have different views from Mr. Bhupesh Gupta, because I also want that Mr. Chordia should continue till 6.30. For once Mr. Bhupesh Gupta has been caught in his own net. He has raised a very very ticklish point. Whenever a Bill is brought forth to amend an Act, then it is open to a Member—there is a series of decisions of the Central Assembly by Mr. Mavlankar, the Provisional Parliament and this House that the scope on an amending Bill is very wide. It is open to a

[Shri B. K. P. Sinha.]

Member who is speaking on that Bill to say that certain other provisions of the parent Act should also have been amended, that if the present amendment goes through and other sections are not amended, then there would be a conflict. These considerations are very valid. Therefore, I do not think Mr. Chordia is going beyond his scope.

श्री बिमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया :  
हमारे मित्र इतना धबड़ा गये हैं कि यह आपने सीमा का बंधन लगा दिया उसके बावजूद भी निराश हैं। ये जानते हैं साढ़े 6 बजे तक ही हाउस चलने वाला है फिर भी धबड़ाते हैं। मैं प्रस्ताव रखूंगा कि सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाय जिससे मैं पूरी चर्चा कर सकूँ। मेरे प्रस्ताव के लिये हाउस का सेंस ले लिया जाय।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You continue. The sense of the House has been taken. No more sense will be taken.

SHRI BHUPESH GUPTA: For ten minutes we can put up with it. You go on.

श्री बिमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया :  
यह जो संशोधन चाहा गया है वह हमारे डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को भी अफैक्ट करता है।

SHRI BHUPESH GUPTA: Telephone directory?

SHRI V. M. CHORDIA: If you cannot hear, I cannot help it. I will ask Mr. Chandra Shekhar to take him to the hospital and cure it.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: I shall take you with him. We cannot absolve ourselves from our duty.

SHRI BHUPESH GUPTA: If you take me with him, I have no chance of being treated because all the beds are occupied.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: There are multi-purpose hospitals. Different wards will be there.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You continue.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Mr. Bhargava has stated that there are facilities in his home town in Agra.

श्री बिमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया : इस भाजी मार्केट में मेरा बोलना असम्भव है। इसको बंद करवाया जाय। यह जो आर्गनाइजेशन आफ विलेज पंचायत हमारा है इसमें जो हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने यह प्रावधान रखा। हमारे देश की सारी की सारी जड़...

SHRI BANKA BEHARY DAS: There is a law for prevention of cruelty to animals. But there is no law to prevent cruelty to men.

श्री बिमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया : पंचायतों की यह स्कीम हमारे देश में (Interruption).

SHRI BHUPESH GUPTA: Article 49...

SHRI V. M. CHORDIA: I will not give in.

SHRI BHUPESH GUPTA: Cow protection is there.

SHRI V. M. CHORDIA: I will talk on this. Do not worry. Do not teach me.

तो महोदया, पंचायतों का जहाँ तक सवाल है हमारे यहाँ पर कई राज्य आ गये और चले गये मगर हमारे देश की ग्रामीण व्यवस्था इन्टैक्ट रहने का एक प्रमुख कारण था हमारी ग्राम पंचायतें और इस बात की अनुभूति करके संविधान के निर्माताओं ने ग्राम पंचायतों की व्यवस्था रखी और इस चीज को डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में रखा है। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ें

दिया गया। उपसभापति महोदया, अगर हमारे भूपेश गुप्त की मनमानी चलने लगेगी तो कहेंगे कि ये पंचायतें सारी अव्यवस्था की जड़ हैं, इनको साफ करो और डाइरेक्टिव प्रिंसिपल साफ हो जायेगा और उसके अंदर यदि हमारी विलेज पंचायतें नहीं चलने दी गईं तो हमारा देश खत्म हो जायेगा, देश का बड़ा नुकसान होगा। इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि इस संशोधन को न लाया जाय।

SHRI BHUPESH GUPTA: Seventh Schedule.

SHRI V. M. CHORDIA: I know what I should speak. I am not taking brief from you. Thank you very much. Why Seventh Schedule? Directive principles are enough—right to work, right to education, right to public assistance in certain cases. "The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education", etc.

आज हमारे यहां पर राइट टु वर्क तो है पर कई लोग बेकार रहते हैं . . .

श्री नरेन घोष : कहाँ ?

श्री विमलकुमार मन्ना : जीन में।  
झिया : चीन में।

श्री नरेन घोष : चीन में हलचल नहीं कर रहे हैं। भारत बोली, हिन्दुस्तान बोली।

श्री विमलकुमार मन्ना : जीन में।  
झिया : तो हमारे यहां यह अधिकार होत हुए भी आज यह स्थिति है कि हमारे लोग काम करना चाहते हैं मगर उनको काम नहीं मिल रहा है। हमारे अशोक मेहता साहब ने तीन चार दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि हमारे यहां बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं डाइरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कह रहा हूं। मगर चकि

बहुमत ऐसे लोगों का है जोकि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल को बलाए ताक रख कर काम कर रहे हैं इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। अगर संशोधन मान लिया गया तो हमारे डाइरेक्टिव प्रिंसिपल में जो यह प्रावधान दिया गया है यह सब खत्म किया जा सकता है।

श्री नरेन घोष : अच्छा इसको एन-फौर्सेबल प्रिंसिपल किया जाय।

श्री विमलकुमार मन्ना : जीन में।  
झिया : आगे यह बताया गया है : प्रोजेक्शन फोर जस्ट एन्ड ह्यूमन कंडीशन आफ वर्क एन्ड मैटर्निटी रिलीफ। मैटर्निटी रिलीफ किसे दिया मालूम है ? उपसभापति महोदया, आप भी जानती हैं कि मैटर्निटी लीव कैसे दिया हमारे फेमिली प्लानिंग के विभाग ने। अगर किसी महिला का तीसरा या चौथा बच्चा होगा तो उसको मैटर्निटी लीव नहीं दी जायेगी। तो क्या आफिस में जा कर के . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: For the sake of your children paternity leave.

श्री विमलकुमार मन्ना : जीन में।  
झिया : श्री भूपेश गुप्ता का मैटर्निटी से कोई संबंध नहीं है इसलिये ये पैटर्निटी लीव मांगते हैं और अगर इनका राज आए तो निश्चित रूप से यह पैटर्निटी लीव शुरू करेंगे मैटर्निटी लीव की बजाय और इसीलिये अपने को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। तो हमारे यहां पर यह होने के बजाय भी हमारे विधि मंत्री ने सर्कुलर जारी किया कि इस तरह से अगर तीन बच्चों के बाद चौथा हुआ तो मैटर्निटी बेनिफिट नहीं दिया जायेगा, छुट्टी नहीं दी जायेगी। मुझे समझ में नहीं आता महोदया, कि कामनसेन्स को अलग क्यों रख दिया जाता है। यह जो मैटर्निटी बेनिफिट देने का इसमें प्रावधान रखा है जोकि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल में है मगर उसको भी हमारी सरकार छीनना चाहती है तो अगर संशोधन मान लिया

[श्री विनयकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया]

जाय तो फिर क्या होगा ? अभी से ऐसा नियम निकाल दिया गया है कि उनको छुट्टी नहीं दी जायेगी जोकि कभी भी न्यायासंगत नहीं कहा जा सकता है ।

मैडम, आगे बताया है (Interruption).  
आई एम आन् माई लेग्ज

SHRI BHUPESH GUPTA: You are on your legs. We thought so. I wish you were on your head.

SHRI V. M. CHORDIA: I thought you were in your bed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think you must wind up now.

श्री विनयकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : मेरे को तो समय बहुत चाहिये । आप जबरदस्ती बैठाइयेगा तो दूसरी बात है . . .

उपसभापति : इसमें जबरदस्ती नहीं है ।  
This is the consensus of the House.

श्री विनयकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया :  
Provision for just and human condition of work and maternity leave—  
यह तो हो चुका । अब लिविंग वेज living wage. The State shall endeavour . . .

श्री नीरेन घोष : तो कांस्टिट्यूशन अमेन्ड करके इसको इनफोर्स करो ।

श्री विनयकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : यह हमारे नीरेनदा चाहते हैं कि डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल न रहे उनकी मनमानी

चलने दी जाय ।

The State shall endeavour to secure by suitable legislation . . .

उपसभापति महोदय मुझे अभी आगे काफी बोलना है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will do. It is now 6.30.

The question is:

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill further to amend the Constitution of India (Amendment of article 368) and resolves that the following members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee:—

1. Shri Chitta Basu,
2. Shri M. V. Bhadram,
3. Shri M. P. Bhargava,
4. Shri K. Chandrasekharan,
5. Shri A. P. Chatterjee,
6. Shri Jairamdas Daulatram,
7. Shri Ram Niwas Mirdha,
8. Shri G. H. Valimohamed Momin,
9. Shri G. R. Patil,
10. Shri Kota Punnaiah,
11. Shri J. Sivashanmugam Pillai,
12. Shrimati Yashoda Reddy,
13. Shri Jogendra Singh,
14. Shri Triloki Singh,
15. Shri Rajendra Pratap Sinha."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned *sine die*.

The House then adjourned *sine die* at thirty minutes past six of the clock.